



भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
का 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु  
मध्य प्रदेश में 74वें संविधान संशोधन के कार्यान्वयन पर  
निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन



**मुख्य पृष्ठ के चित्र (ऊपर से, बाएं से दाएं)**

- 10 एमएलडी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, भौरी, भोपाल
- 2000 केएल ओवर हेड टैंक, विश्वकर्मा नगर, भोपाल
- 2000 केएल ओवर हेड टैंक, जबलपुर
- 32 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जबलपुर
- 22.1 एमएलडी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, छिंदवाड़ा
- ओवर हेड टैंक, छिंदवाड़ा

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु  
मध्य प्रदेश में 74वें संविधानसंशोधन के कार्यान्वयन पर  
निष्पादन लेखापरीक्षा

मध्य प्रदेश शासन  
वर्ष 2022 का प्रतिवेदन क्र. 3



<b>विषय-सूची</b>		
	<b>कंडिका क्रमांक</b>	<b>पृष्ठ क्रमांक</b>
प्राक्कथन		iii
कार्यकारी सारांश		v
<b>अध्याय-I</b>		
<b>परिचय</b>		
74वां संविधान संशोधन	1.1	1
मध्य प्रदेश में शहरीकरण की प्रवृत्ति	1.2	1
शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा	1.3	1
मध्य प्रदेश में शहरी शासन की संगठनात्मक संरचना	1.4	2
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.5	2
लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत	1.6	2
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली	1.7	3
अभिस्वीकृति	1.8	3
लेखापरीक्षा निष्कर्षों का व्यवस्थापन	1.9	4
<b>अध्याय-II</b>		
<b>74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन</b>		
राज्य स्तरीय विधानों की 74वें संविधान संशोधन अधिनियम से तुलना	2.1	5
शहरी स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार की शक्तियाँ	2.2	7
<b>अध्याय-III</b>		
<b>शहरी स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण और उनकी कार्यप्रणाली</b>		
कार्यों के हस्तांतरण की वास्तविक स्थिति	3.1	9
कार्यबल पर सीमित अधिकार	3.2	13
शहरी स्थानीय निकायों में कार्यबल की स्थिति	3.2.1	14
शहरी स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण के लिए संस्थागत तंत्र	3.3	16
राज्य निर्वाचन आयोग	3.3.1	16
चुनावों और परिषदों के गठन की स्थिति	3.3.2	16
विभिन्न समितियों का गठन और कार्य प्रणाली	3.3.3	18
राज्य वित्त आयोग	3.3.4	19
राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया	3.3.4.1	20
संपत्ति कर मण्डल	3.3.5	21
एक्रुअल आधारित लेखांकन प्रणाली अपनाना	3.3.6	21
<b>अध्याय-IV</b>		
<b>शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधन</b>		
राजस्व के स्रोत	4.1	23
शहरी स्थानीय निकायों का स्वयं का राजस्व	4.1.1	24
शिक्षा उपकर का उपयोग	4.1.1.1	25
शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय हस्तांतरण	4.1.2	25
केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान	4.1.2.1	28
संपत्ति कर	4.1.3	29
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	4.1.4	33
राजस्व के अन्य स्रोत	4.1.5	34
सेवाओं पर व्यय	4.2	35
सौंपे गये कार्यों की प्रभावकारिता	4.3	35

विषय-सूची		
	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
<b>अध्याय-V</b>		
निष्कर्ष	—	39

परिशिष्ट		
परिशिष्ट क्रमांक	शीर्षक	पृष्ठ क्रमांक
1	शहरी स्थानीय निकाय का संगठनात्मक चार्ट	41
2	पैरास्टेटल और उनके कार्यों की सूची	42
3	चयनित शहरी स्थानीय निकाय की सूची	44
4	निगम/ परिषद की बैठकें	46
5	जिला योजना समिति	59
6	शिक्षा उपकर का उपयोग	62
7	संपत्ति कर की कम वसूली	64
8	जल उपयोगकर्ता शुल्क का संक्षिप्त संग्रह	65
9	मोबाइल टावर पर कर की वसूली	66
10	बजट अनुमोदन में विलंब	68
11	सेवा स्तर बेंचमार्क	70

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्य की विधान सभा के समक्ष रखे जाने हेतु मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान "मध्य प्रदेश में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन" की निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित किए गए दृष्टांत उनमें से हैं जो नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए हैं।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संचालित की गई है।





# कार्यकारी सारांश



## कार्यकारी सारांश

74वां संविधान संशोधन, जो 1 जून 1993 को प्रभावी हुआ, ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए एक स्पष्ट अधिदेश प्रदान किया और देश के शहरी क्षेत्रों में स्वशासी स्थानीय निकायों के माध्यम से बुनियादी स्तर पर लोकतंत्र की शुरुआत के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार करने का प्रयास किया। इस संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संविधान की 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों को करने का अधिकार दिया गया।

मध्य प्रदेश, देश का केन्द्रीय राज्य, भौगोलिक रूप से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जिसकी जनसंख्या 7.27 करोड़ है। इस जनसंख्या में से, 2.01 करोड़ शहरी क्षेत्रों में निवास करती हैं। नगरीय मध्य प्रदेश को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे, गरीबी उन्मूलन, अपशिष्ट प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, आदि। इस परिदृश्य में, शहरी स्थानीय निकायों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है, क्योंकि इनमें से अधिकांश मुद्दों को स्थानीय स्तर पर सबसे अच्छी तरह से संभाला जाता है।

मध्य प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों के तीन स्तरों को उनके अधिकार क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इस लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह देखना था कि क्या राज्य सरकार ने कार्यों, निधियों और पदाधिकारियों के हस्तांतरण द्वारा समर्थित एक मजबूत संस्थागत ढांचे के निर्माण से शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाया है।

किसी भी संस्थान के प्रभावी कामकाज के लिए पर्याप्त और उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित मानव संसाधन महत्वपूर्ण है। केवल अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती को छोड़कर शहरी स्थानीय निकायों के पास न तो कर्मचारियों की आवश्यकता का आकलन करने की शक्ति थी, न ही आवश्यक स्थायी कर्मचारियों की भर्ती करने की शक्ति थी, क्योंकि ये शक्तियाँ राज्य सरकार के पास थीं। राज्य सरकार ने केवल जनसंख्या के आधार पर शहरी स्थानीय निकायों से वास्तविक आवश्यकता की मांग किए बिना कर्मचारियों की आवश्यकता का आकलन किया। अधिकांश कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे, और उनकी सेवाओं, अनुशासन, साथ-साथ ही आचरण की शर्तों को विनियमित करने की शक्तियाँ राज्य सरकार के पास थीं। शहरी स्थानीय निकाय कर्मचारियों की भारी कमी के साथ काम कर रहे थे और ये आउटसोर्स कर्मचारियों पर बहुत अधिक निर्भर थे।

हमने देखा कि परिसीमन का कार्य राज्य चुनाव आयोग को नहीं सौंपा गया है और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित रूप से नहीं हो रहे थे, जिसमें 347 शहरी स्थानीय निकाय राज्य सरकार के अधीन काम कर रहे थे। यह देखा गया कि राज्य में मेयर/ निगमों/ परिषदों के अध्यक्ष के पदों के लिए आरक्षण और रोटेशन नीति अभी तक पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई है।

शहरी स्थानीय निकायों के सफल कामकाज के लिए व्यावसायिक प्रक्रियाओं का पालन और विभिन्न समितियों की नियमित बैठकें अनिवार्य हैं। हालाँकि, हमने देखा कि निगम परिषदों की बैठकें निर्धारित मानदंडों के अनुसार आयोजित नहीं की गई थी। 12 शहरी स्थानीय निकायों में सलाहकार समितियों का गठन नहीं किया गया था। दूसरी ओर, वार्ड समितियाँ और मोहल्ला समितियाँ जो स्थानीय शासन में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बनाई जाती हैं, अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों में उनका गठन नहीं किया गया था। इसके अलावा, मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम में प्रावधान के अभाव के कारण किसी भी शहर में महानगरीय योजना समितियों का गठन नहीं किया गया था। जिला योजना समितियों की बैठकें भी नियमित रूप से नहीं हुई थीं और समग्र रूप से जिले के लिए समेकित जिला विकास योजना 25 जिलों में किसी में भी तैयार नहीं की गई थी जिनमें 33 नमूना-जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकाय स्थित थे।

राज्य वित्त आयोग का समय पर गठन और इसकी सिफारिशों पर त्वरित कार्यवाई करना शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। राज्य वित्त आयोगों (तीसरे से पाँचवें) के गठन में विलंब और उनके प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के साथ उनकी स्वीकृति और निधियों के हस्तांतरण के लिए अनुशंसाओं के कार्यान्वयन में विलंब ने शहरी स्थानीय निकायों की

वित्तीय स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। छठे राज्य वित्त आयोग के गठन करने का समय होने पर भी, तीसरे राज्य वित्त आयोग के अनुसार निधियों का हस्तांतरण किया जा रहा है।

हमने यह भी देखा कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपने स्रोतों से प्राप्त राजस्व कम था। हमने देखा कि शहरी स्थानीय निकायों में सम्पत्ति कर एवं जल शुल्क, जो की उनके राजस्व के दो प्रमुख स्रोत हैं, की एक महत्वपूर्ण राशि लंबित है। जी आई एस सर्वेक्षण, जिसका संपत्ति कर पर काफी प्रगतिशील प्रभाव हो सकता है, वह भी केवल 123 शहरी स्थानीय निकायों (30 प्रतिशत) में ही आयोजित किया गया था। आगे, यह देखा गया कि चयनित शहरी स्थानीय निकायों में से किसी ने भी पानी के कनेक्शन के लिए मीटर नहीं लगाए थे और केवल निश्चित जल शुल्क लगाया जा रहा था जो निर्धारित जलापूर्ति के संचालन और रखरखाव पर होने वाले खर्च का भुगतान करने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। दुकान के किराए का बकाया भी लीजधारकों/ अधिभोक्ताओं से वसूल किया जाना था, जिसने शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को और खराब करने में योगदान दिया।

हमने बजट प्रक्रिया में भी कमियां देखीं। कई वर्षों से बजट अनुमानों और वास्तविक आय तथा व्यय के बीच बड़े अंतर थे, जो अनुचित बजट निरूपण का संकेत देते थे। 31 मार्च के बाद चार से 707 दिनों की देरी के साथ परिषद के अध्यक्ष द्वारा बजट पारित किए जाने के उदाहरण भी देखे गए थे।

# अध्याय I परिचय



## अध्याय I

### परिचय

#### 1.1 74वां संविधान संशोधन

शहरी स्थानीय निकायों को स्वशासन की जीवंत लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित प्रावधानों को एक संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में शामिल किया जाए। ऐसा संशोधन शहरी स्थानीय निकायों और राज्य सरकार के बीच कार्यों, संसाधनों के साथ-साथ चुनावों के नियमित संचालन के संबंध में और कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने एवं उनके संबंधों को मजबूत बनाने के लिए था।

01 जून 1993 को लागू संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992, ने देश में शहरी स्थानीय निकायों को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इस संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 W ने राज्य विधानमंडलों को स्थानीय निकायों को स्वशासी संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करने और शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के लिए प्रावधान करने के लिए कानून बनाने हेतु अधिकृत किया। संविधान की बारहवीं अनुसूची में शहरी स्थानीय निकायों को सौंपे जाने वाले 18 विशिष्ट कार्य शामिल हैं।

#### 1.2 मध्य प्रदेश में शहरीकरण की प्रवृत्ति

देश के केंद्र में स्थित राज्य, मध्य प्रदेश, भौगोलिक दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यह देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 9.38 प्रतिशत (3,08,252 वर्ग किमी) और कुल आबादी का लगभग छः प्रतिशत (7.27 करोड़) से आच्छादित है। 2011 की जनगणना के अनुसार, कुल जनसंख्या में से 2.01 करोड़ (27.69 प्रतिशत) शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। 2001-2011 की अवधि के दौरान, मध्य प्रदेश में शहरी आबादी में 41 लाख की वृद्धि हुई।

शहरी मध्य प्रदेश को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे, गरीबी उन्मूलन, अपशिष्ट प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, आदि। इस परिदृश्य में, शहरी स्थानीय निकायों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, क्योंकि इनमें से अधिकांश मुद्दों को स्थानीय स्तर पर सबसे अच्छी तरह से नियंत्रित किया जाता है।

#### 1.3 शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा

मध्य प्रदेश में, शहरी स्थानीय निकायों के तीन स्तरों को उनके अधिकार क्षेत्र में जनसंख्या<sup>1</sup> के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यहाँ 407<sup>2</sup> शहरी स्थानीय निकाय हैं जैसा कि नीचे तालिका 1.1 में दिखाया गया है:

<sup>1</sup> कुल 3,00,000 या अधिक की जनसंख्या नगर निगम, 50,000 या अधिक की जनसंख्या, लेकिन 3,00,000 से कम की जनसंख्या नगरपालिका परिषद है, और 20,000 या अधिक की जनसंख्या लेकिन 50,000 से कम की जनसंख्या नगर परिषद है।

<sup>2</sup> इन शहरी स्थानीय निकायों के अलावा, पाँच छावनी क्षेत्र भी हैं।

तालिका 1.1 मध्य प्रदेश राज्य में श्रेणीवार शहरी स्थानीय निकाय

शहरी स्थानीय निकाय के प्रकार	शहरी स्थानीय निकायों की संख्या
नगर निगम	16
नगरपालिका परिषद	98
नगर परिषद	293
<b>कुल</b>	<b>407</b>

(स्रोत: नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार)

नगर निगम, मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956 द्वारा शासित होते हैं और अन्य शहरी स्थानीय निकाय (नगरपालिका परिषद और नगर परिषद) मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 द्वारा शासित होते हैं। प्रत्येक निगम/ नगरपालिका क्षेत्र को वार्डों में विभाजित किया गया है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा पार्षदों के चुनाव के उद्देश्य से निर्धारित और अधिसूचित किया जाता है। सभी शहरी स्थानीय निकायों में एक निर्वाचित परिषद होती है जिसमें शहरी स्थानीय निकाय के प्रमुख के रूप में मेयर/ अध्यक्ष और परिषद के सदस्यों के रूप में पार्षद शामिल होते हैं।

#### 1.4 मध्य प्रदेश में शहरी शासन की संगठनात्मक संरचना

सरकार के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में शहरी विकास और आवास विभाग, सभी शहरी स्थानीय निकायों के संचालन के लिए नोडल विभाग है। शहरी विकास और आवास विभाग के अधीन, शहरी प्रशासन और विकास संचालनालय राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकायों के बीच एक अंतरफलक के रूप में कार्य करता है। नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय का नेतृत्व एक आयुक्त करता है, जिसकी सहायता संभाग स्तर पर नौ संयुक्त निदेशक<sup>3</sup> करते हैं। राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के कामकाज के संबंध में संगठन संरचना को **परिशिष्ट 1** में दर्शाया गया है।

शहरी स्थानीय निकायों के अलावा, शहरी विकास और आवास विभाग में 10 प्रमुख पैरास्टेटल एजेंसियां/ अन्य विभाग हैं जो शहरी बुनियादी ढांचे और सेवाओं का वितरण या सुविधा प्रदान करते हैं, जैसे कि 28 नगर तथा ग्राम निवेश, राजधानी परियोजना प्रशासन-भोपाल, 19 राज्य टाउन प्लानिंग संस्थान, मध्य प्रदेश आवास एवं अधोसंरचना विकास बोर्ड के 33 संभाग, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम, मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, 50 जिला शहरी विकास एजेंसी, मध्य प्रदेश शहरी विकास कंपनी, सात स्मार्ट सिटी कंपनियाँ और मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम। पैरास्टेटल और उनके कार्यों का विवरण **परिशिष्ट 2** में दिया गया है।

#### 1.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि क्या:

- राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को उचित रूप से रूपांकित किए गए संस्थानों/ संस्थागत तंत्रों के माध्यम से अपने कार्यों/ जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए सशक्त किया गया है;
- कार्य जो हस्तांतरित किए जा चुके बताये गये हैं, वास्तव में प्रभावी थे; तथा
- शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किए गए कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक संसाधनों तक पहुँचने हेतु सशक्त किया गया है।

#### 1.6 लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत

निष्पादन लेखापरीक्षा के मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए थे :

<sup>3</sup> भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम, रीवा, सागर, शहडोल और उज्जैन।



- 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992;
- मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956 एवं उसके अधीन बनाए गए नियम;
- मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 एवं उसके अधीन बनाए गए नियम;
- मध्य प्रदेश म्युनिसिपल लेखांकन नियमावली;
- 13वें एवं 14वें वित्त आयोग के प्रतिवेदन; पहले, दूसरे, तीसरे एवं चौथे राज्य वित्त आयोगों के प्रतिवेदन; तथा
- राज्य सरकार एवं संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी निर्देश एवं परिपत्र।

### 1.7 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा में 33 शहरी स्थानीय निकायों से चयनित कार्यों के लिए सभी स्तरों पर एकत्रित आंकड़ों की नमूना-जाँच के माध्यम से 2015-16 से 2019-20 (आगे 2015-20 के रूप में उल्लेखित) की अवधि को शामिल किया गया है। इन 33 शहरी स्थानीय निकायों को निम्नलिखित तरीके से प्रतिस्थापन विधि के बिना सरल यादृच्छिक नमूनाकरण का उपयोग करके चुना गया था:

- राज्य की राजधानी का नगर निगम होने के कारण भोपाल नगर निगम को शामिल कर कुल चार नगर निगम, जो 16 नगर निगमों का 25 प्रतिशत है;
- 12 नगरपालिका परिषद, अर्थात् 98 नगरपालिका परिषदों का 12.5 प्रतिशत; तथा
- 17 नगर परिषद, यानी राज्य के 269<sup>4</sup> नगर परिषदों का 6.25 प्रतिशत।

विवरण **परिशिष्ट 3** में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, शीर्ष स्तर पर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय तथा प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अभिलेखों की भी नमूना-जाँच की गई है। पैरास्टेटल एजेंसियों से डेटा भी एकत्र कर लेखापरीक्षा में उपयोग किया गया है। 12वीं अनुसूची में वर्णित 18 कार्यों में से निम्नलिखित कार्यों/ गतिविधियों का चयन शहरी स्थानीय निकायों में नमूना जाँच के लिए किया गया था:

- i) जल आपूर्ति;
- ii) सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता;
- iii) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन;
- iv) संपत्ति कर; तथा
- v) जल उपयोगकर्ता शुल्क।

हमने 16 दिसंबर 2020 को प्रमुख सचिव, शहरी विकास और आवास विभाग के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें लेखापरीक्षा पद्धति, कार्यक्षेत्र, उद्देश्य और मानदंड साझा किए गए थे। लेखापरीक्षा पद्धति में दस्तावेजों के संग्रह, विश्लेषण और लेखापरीक्षा प्रश्नों के उत्तर के लिए सूचनाओं की ऑनलाइन मांग और इकाइयों का संक्षिप्त दौरा शामिल था। 25 अक्टूबर 2021 को एक निर्गम सम्मेलन आयोजित किया गया था।

### 1.8 अभिस्वीकृति

हम विभाग, नगर निगमों और नगर परिषदों द्वारा दिए गए सहयोग और सहायता की अभिस्वीकृति प्रदान करते हैं। तथापि, अभिलेखों और सूचनाओं के उपलब्ध होने के संबंध में विशेष रूप से हमारे सामने आने वाली चुनौतियों का उल्लेख उपयुक्त स्थानों पर प्रतिवेदन में किया गया है।

<sup>4</sup> कुल 299 नगर परिषदों में से 30 नव गठित नगर परिषदों (2016-17 में 8 और 2018-19 में 22) को लेखापरीक्षा में सम्मिलित करने हेतु विचार नहीं किया गया था। इन 30 नवगठित नगर परिषदों में से बाग की नगर परिषद की अधिसूचना को उच्च न्यायालय ने अमान्य घोषित कर दिया था।

### 1.9 लेखापरीक्षा निष्कर्षों का व्यवस्थापन

हमारे निष्कर्ष निम्नानुसार व्यवस्थित हैं:

अध्याय II – 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन;

अध्याय III – शहरी स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण और उनकी कार्यप्रणाली;

अध्याय IV – शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधन; तथा

अध्याय V – निष्कर्ष।

**अध्याय II**  
**74वें संविधान संशोधन अधिनियम**  
**के प्रावधानों का अनुपालन**



## अध्याय II

### 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

#### 2.1 राज्य स्तरीय विधानों की 74वें संविधान संशोधन अधिनियम से तुलना

74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुच्छेद 243Q से 243ZG के नगरपालिकाओं से संबंधित कुछ प्रावधानों की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956, मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 और मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 में संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुरूप विद्यमान प्रावधान नीचे तालिका 2.1 में दर्शाए गए हैं: –

**तालिका 2.1: 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के साथ राज्य स्तरीय विधानों का प्रतिचित्रण**

भारत के संविधान के प्रावधान	भारत के संविधान के प्रावधान के अनुसार आवश्यकता	राज्य अधिनियम/ अधिनियमों का प्रावधान
अनुच्छेद 243Q	<b>नगरपालिकाओं का गठन:</b> यह तीन प्रकार की नगरपालिकाओं के गठन का प्रावधान करता है, अर्थात् परिवर्तनकालिक क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत, एक छोटे शहरी क्षेत्र के लिए एक नगर परिषद और एक बड़े शहरी क्षेत्र के लिए एक नगर निगम।	मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5  मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956 की धारा 7
अनुच्छेद 243R	<b>नगरपालिकाओं की संरचना:</b> नगरपालिका में सभी सीटों को सीधे चुनाव द्वारा और सरकार द्वारा नामित नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों द्वारा भी भरा जाएगा। राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा, संसद और विधानसभा के सदस्यों, जिनके निर्वाचन क्षेत्र नगरपालिका क्षेत्र के भीतर स्थित हों, और राज्यसभा तथा राज्यविधान परिषद के ऐसे सदस्य जो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में पंजीकृत हों, को नगरपालिका के लिए प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकता है।	मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19  मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 9
अनुच्छेद 243S	<b>वार्ड समिति का गठन और संरचना:</b> यह 3 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले सभी नगरपालिकाओं में वार्ड समिति के गठन का प्रावधान करता है।	मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 (ए)  मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 72 (ए)
अनुच्छेद 243T	<b>सीटों का आरक्षण:</b> अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव के लिए आरक्षित की जाने वाली सीटें।	मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 29 (ए)  मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956 की धारा 11 (ए)
अनुच्छेद 243U	<b>नगरपालिकाओं की अवधि:</b> नगरपालिका का कार्यकाल इसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष का निश्चित होता है और कार्यकाल पूर्ण होने के छः माह के भीतर पुनर्निर्वाचन किया जाना होता है।	मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 36  मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956 की धारा 20

भारत संविधान के प्रावधान	के के	भारत के संविधान के प्रावधान के अनुसार आवश्यकता	राज्य अधिनियम/ अधिनियमों का प्रावधान
अनुच्छेद 243V		<p><b>सदस्यता के लिए निरर्हताएं:</b> एक व्यक्ति को नगरपालिका के सदस्य होने से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>यदि वह संबंधित राज्य के विधानमंडल के चुनावों के प्रयोजनों के लिए तत्समय लागू किसी कानून द्वारा या उसके तहत इसके लिए अयोग्य है, और</li> <li>यदि वह राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्य घोषित किया गया है।</li> </ul>	<p>मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 35</p> <p>मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956 की धारा 17</p>
अनुच्छेद 243W		<p><b>नगरपालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व:</b> सभी नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियों के साथ सशक्त किया जाएगा जो उन्हें स्व-शासन के प्रभावी संस्थानों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। राज्य सरकार उन्हें ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार सौंपेगी जिससे वे 12वीं अनुसूची के संबंध में उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सकें।</p>	<p>मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 124</p> <p>मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956 की धारा 69</p>
अनुच्छेद 243X		<p><b>नगरपालिकाओं द्वारा कर लगाने की शक्ति, और उनके वित्त पोषण:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>नगरपालिकाओं को कर, शुल्क, चुंगी, आदि अधिरोपित और एकत्र करने का अधिकार होगा।</li> <li>राज्य की ओर से नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान दिया जाएगा।</li> <li>नगरपालिका द्वारा धन जमा करने और निकालने के लिए निधियों का गठन किया जायेगा।</li> </ul>	<p>मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 129</p> <p>मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956 की धारा 133</p>
अनुच्छेद 243Y के साथ सहपठित अनुच्छेद 243I		<p><b>वित्त आयोग:</b> राज्य सरकार निम्नलिखित के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगी:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और ऐसे कदम उठाना जिससे नगर निकायों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने में मदद मिले।</li> <li>राज्य और नगरपालिकाओं के बीच, राज्य सरकार द्वारा वसूले जाने वाले करों, शुल्कों, पथकरों और चुंगियों की शुद्ध प्राप्तियों का वितरण।</li> <li>राज्य की संचित निधि से राज्य में नगर निकायों को निधियों का आवंटन।</li> </ul>	<p>मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 की धारा 3</p>
अनुच्छेद 243Z		<p><b>नगरपालिकाओं के खातों की लेखापरीक्षा:</b> यह नगरपालिकाओं द्वारा लेखों के संधारण और ऐसे लेखों की लेखापरीक्षा के लिए प्रावधान करता है।</p>	<p>मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 121</p> <p>मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956 की धारा 125 से 131</p>
अनुच्छेद 243ZA		<p><b>नगरपालिकाओं के चुनाव:</b> नगरपालिकाओं के</p>	<p>मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961</p>

भारत के संविधान के प्रावधान	भारत के संविधान के प्रावधान के अनुसार आवश्यकता	राज्य अधिनियम/ अधिनियमों का प्रावधान
के साथ सहपठित अनुच्छेद 243K	चुनाव की सभी प्रक्रियाओं का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य चुनाव आयोग में निहित होगा।	की धारा 32 मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14
अनुच्छेद 243ZD	<b>जिला योजना के लिए समिति:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>जिला स्तर पर जिला योजना समिति का गठन।</li> <li>जिला योजना समिति की संरचना।</li> <li>विकास योजना का मसौदा तैयार करना और सरकार को अग्रप्रेषित करना।</li> </ul>	मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 की धारा 3
अनुच्छेद 243ZE	<b>महानगरीय योजना के लिए समिति:</b> 10 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र में महानगरीय योजना समिति के गठन का प्रावधान।	राज्य सरकार द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(स्रोत: मध्य प्रदेश नगर निगम/ मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम और मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995)

इस प्रकार, महानगरीय योजना समिति के गठन को छोड़कर, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में परिकल्पित सभी कोडल प्रावधानों को राज्य अधिनियमों/ नियमों में समावेशित किये जाने का अनुपालन किया गया है। हालाँकि, कानून द्वारा संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन बुनियादी स्तर पर प्रभावी विकेंद्रीकरण का आश्वासन नहीं देता है जब तक कि इन प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन नहीं किया जाता। हमने पाया कि विधिक प्रावधानों को निर्णायक रूप से अमल में नहीं लाया गया था, जो कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की भावना के प्रतिकूल है। ये कमियाँ शहरी स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण, शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय शक्तियों के हस्तांतरण, मानव शक्ति प्रबंधन, आदि के लिए संस्थागत तंत्र से संबंधित हैं, जैसा कि बाद के अध्यायों में चर्चा की गई है।

## 2.2 शहरी स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार की शक्तियाँ

हमने देखा कि राज्य सरकार के पास शहरी स्थानीय निकायों पर अधिभावी शक्तियाँ थीं, जो कि संविधान संशोधन की भावना के प्रतिकूल थीं। कुछ प्रावधान नीचे तालिका 2.2 में दर्शाए गए हैं:—

तालिका 2.2: शहरी स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार की अधिभावी शक्तियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	विषय	प्रावधान
1	नियम बनाने की शक्ति	राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, मध्य प्रदेश नगर निगम/ मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियमों के लिए राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के पश्चात नियम बना सकती है (मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 433 और मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 355)।
2	शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लिए गए किसी संकल्प या निर्णय को रद्द करने और निलंबित करने की शक्ति	राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लिए गए किसी प्रस्ताव या निर्णय को रद्द कर सकती है, यदि राज्य सरकार की राय में यह विधिसम्मत रूप से पारित नहीं है या यह मध्य प्रदेश नगर निगम और मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, किसी अन्य कानून द्वारा प्रदत्त शक्ति से अधिक है, या इससे सरकार द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन में शांति भंग होने या जनता या किसी वर्ग या निकाय या व्यक्तियों को चोट अथवा परेशानी का कारण बनने की संभावना है या नगरपालिका निधि की बर्बादी या क्षति होने की संभावना है (मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 421 और मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 323)।

क्र. सं.	विषय	प्रावधान
3	शहरी स्थानीय निकायों को भंग करने की शक्ति	राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकायों को उचित अवसर देने के बाद, उनके द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कर्तव्यों के निष्पादन में विफल होने या चूक होने की दशा में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को भंग कर सकती है। राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकायों के विघटन की अवधि के दौरान प्रशासकों की नियुक्ति कर सकती है। (मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 422 और 423 तथा मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 328)।
4	सरकार द्वारा कानूनों की स्वीकृति	मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 427 और मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 355, शहरी स्थानीय निकायों को उप-नियम बनाने का अधिकार देती है। हालाँकि, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बनाए गए उप-नियम तब तक वैध नहीं हैं जब तक कि सरकार द्वारा मंजूरी नहीं दे दी जाती है (मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 430 और मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 357)।
5	अधिशेष निधि जमा करने और निवेश करने की स्वीकृति	मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 108 (3) नगरपालिका परिषद को अधिशेष राशि जमा करने और निवेश करने की अनुमति केवल सरकार से पूर्व स्वीकृति के बाद देती है।
6	पैसे उधार लेने की स्वीकृति	मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 102 और मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 115, नगरपालिका परिषद और नगर निगमों को धन उधार लेने की अनुमति देती है लेकिन सरकार से पूर्व स्वीकृति के पश्चात।
7	संपत्ति का पट्टा/ बिक्री	मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 80 और मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 109 नगरपालिका परिषदों और नगर निगमों को अपनी चल और अचल संपत्ति को पट्टे पर देने या बेचने की अनुमति देती है, लेकिन कुछ प्रतिबंधों और सरकार की पूर्व अनुमति के साथ।
8	आरक्षित निधि से निकासी	मध्य प्रदेश नगरपालिका (लेखा एवं वित्त) नियम, 2018 के नियम 16 में कहा गया है कि शहरी स्थानीय निकायों की आय का पाँच प्रतिशत आरक्षित निधि में जमा किया जाना चाहिए, लेकिन इससे निकासी के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

इनमें से कुछ प्रावधान शहरी स्थानीय निकायों के कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं। बुनियादी स्तर पर लोकतंत्र का सूत्रपात करने के लिए एक संस्थागत ढांचा बनाने के लिए राज्य सरकार की अधिभावी शक्तियाँ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में एक बाधा हो सकती हैं।



**अध्याय III**  
**शहरी स्थानीय निकायों का**  
**सशक्तिकरण और उनकी कार्यप्रणाली**



शहरी स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण और उनकी कार्यप्रणाली

सारांश

कुल 407 शहरी स्थानीय निकायों में से केवल 60 में ही उनकी शहरी सरकार है जहां जनवरी 2017 और जनवरी 2018 के बीच चुनाव हुए थे। शेष 347 शहरी स्थानीय निकाय राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम कर रहे थे। इस प्रकार, लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के साथ-साथ शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने का 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का अधिदेश प्रारंभिक स्तर पर ही पूरा नहीं हो रहा है। लेखापरीक्षा के लिए चयनित 33 शहरी स्थानीय निकायों में से 32 निकायों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार परिषदों की बैठकें आयोजित नहीं कीं। 12 शहरी स्थानीय निकायों में सलाहकार समितियों का गठन नहीं किया गया था। केवल ग्वालियर और जबलपुर में वार्ड समितियों का और केवल जबलपुर नगर निगम में मोहल्ला समितियों का गठन किया गया था। इससे स्थानीय शासन में जनभागीदारी सुगम बनाने के साथ-साथ विकास कार्यों की प्राथमिकता और निगरानी के उद्देश्य विफल हो गए। मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम में महानगर योजना समितियों की परिकल्पना नहीं की गई है। जिला योजना समिति की बैठकें भी नियमित रूप से नहीं होती थीं और स्थानीय आवश्यकताओं एवं सार्वजनिक हित के मामलों को ध्यान में रखकर समग्र रूप से जिले के लिए समेकित जिला विकास योजनाएं, किसी भी 25 जिलों में जहाँ नमूना-जाँच की गई 33 शहरी स्थानीय निकाय स्थित थे, तैयार नहीं की गई थीं। केवल जबलपुर नगर निगम ने ही नगरपालिका लेखा समिति का गठन किया था। चयनित 33 शहरी स्थानीय निकायों में से 30 में कुल 24,437 लेखापरीक्षा कंडिकाएं लंबित थीं। 407 शहरी स्थानीय निकायों में से 341 ने एक्रुअल आधारित दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली को अपनाया है।

राज्य वित्त आयोगों (तीसरे से पाँचवें) के गठन में देरी और उसके फलस्वरूप सिफारिश प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में देरी के साथ-साथ, सिफारिशें स्वीकार करने, सिफारिशों का कार्यान्वयन/ निधि के हस्तांतरण में देरी से शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। छठे राज्य वित्त आयोग के गठन करने का समय होने पर भी, निधियों का हस्तांतरण तीसरे राज्य वित्त आयोग के अनुसार किया जा रहा है।

शहरी स्थानीय निकायों के पास न तो कर्मचारियों की आवश्यकता का आकलन करने और न ही संविदा के अलावा, आवश्यक स्थायी कर्मचारियों की भर्ती करने का अधिकार है। समूह क, ख और ग कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य सरकार करती है और उनकी सेवा शर्तों, अनुशासन, और आचरण विनियमित करने की शक्तियाँ भी राज्य सरकार के पास हैं।

3.1 कार्यों के हस्तांतरण की वास्तविक स्थिति

74वें संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य, शहरी स्थानीय निकायों को 12वीं अनुसूची में निर्दिष्ट 18 विषयों के संबंध में कार्य करने और योजनाओं को लागू करने के लिए सशक्त बनाना था। प्रत्येक राज्य से संशोधन को लागू करने के लिए कानून बनाने की उम्मीद की गई थी। 18 कार्यों में से, आठ-आठ कार्य अनिवार्य<sup>5</sup> और विवेकाधीन<sup>6</sup> थे और दो कार्य शहरी स्थानीय निकायों के लिए दोहरी प्रकृति के थे।

हमने पाया (तालिका 3.1) कि अनुसूची में निर्दिष्ट 18 विषयों में से शहरी स्थानीय निकाय चार विषयों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार थे, एक विषय में कोई भूमिका नहीं थी, और 10 कार्य ऐसे थे

<sup>5</sup> कार्य, जो शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनिवार्य थे।

<sup>6</sup> कार्य, जो शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनिवार्य नहीं थे।

जो राज्य सरकार के विभागों/ प्राधिकारियों के साथ अतिव्यापी थे और तीन कार्यों के लिए वे केवल कार्यान्वयन एजेंसियां थे।

तालिका 3.1: कार्यों के हस्तांतरण की स्थिति

क्र. स.	अनिवार्य (अ)/ विवेकाधीन (वि) कार्य	गतिविधियां	कार्यान्वयन की वास्तविक स्थिति
<b>कार्य जहां शहरी स्थानीय निकायों का पूर्ण अधिकार क्षेत्र है</b>			
1.	अग्निशमन सेवाएं (अ)	फायर ब्रिगेड की स्थापना और रखरखाव ऊंची इमारतों के लिए अग्नि अनापत्ति/ अनुमोदन प्रमाण पत्र प्रदान करना संचालन और रखरखाव	इन कार्यों के निर्वहन के लिए शहरी स्थानीय निकाय पूरी तरह से जिम्मेदार थे। इंदौर और मालनपुर (भिंड) को छोड़कर शेष सभी शहरी स्थानीय निकाय फायर ब्रिगेड की सेवा का निर्वहन कर रहे थे। इन दो शहरों में पुलिस विभाग इस कार्य का निर्वहन कर रहा है।
2.	कब्रगाहें और कब्रिस्तान; श्मशान, श्मशान घाट (अ)	श्मशान भूमि, कब्रिस्तान और विद्युत शवदाह गृह का निर्माण और संचालन एवं रखरखाव।	इन कार्यों के निर्वहन के लिए शहरी स्थानीय निकाय पूरी तरह से जिम्मेदार थे।
3.	मवेशी पकड़ना/ पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (अ)	आवारा पशुओं को पकड़ना और रखना बंध्याकरण और एंटी-रेबीज पशु सुरक्षा सुनिश्चित करना	इन कार्यों के निर्वहन के लिए शहरी स्थानीय निकाय पूरी तरह से जिम्मेदार थे।
4.	बूचड़खानों और चर्मशोधन कारखानों का विनियमन (अ)	पशुओं और मांस की गुणवत्ता सुनिश्चित करना कचरे का निपटान बूचड़खानों का संचालन एवं रखरखाव	इन कार्यों के निर्वहन के लिए शहरी स्थानीय निकाय पूरी तरह से जिम्मेदार थे।
<b>शहरी स्थानीय निकायों के लिए बिना किसी भूमिका वाले कार्य</b>			
5.	आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना (वि)	आर्थिक गतिविधियों के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन सामाजिक विकास के लिए नीतियां	इन कार्यों में शहरी स्थानीय निकायों की कोई भूमिका नहीं है।
<b>अतिव्यापी कार्य</b>			
6.	नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन (वि)	मास्टर प्लानिंग/ विकास योजनाएं/ क्षेत्रीय योजनाएं मास्टर प्लानिंग नियमों को लागू करना भवन उप-नियमों और अनुज्ञापत्रों को लागू करना समूह आवास, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास	मुख्य योजना नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय, मध्य प्रदेश शहरी विकास एवं आवास विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। नगरीय स्थानीय निकाय इस कार्य के लिए पूर्णतः उत्तरदायी थे। आवास एवं अधोसंरचना विकास मंडल, शहरी स्थानीय निकाय, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण (10 हेक्टेयर), मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (एमपीएस आईडीसी, 10 हेक्टेयर से ऊपर) मध्यम

क्र. स.	अनिवार्य (अ)/ विवेकाधीन (वि) कार्य	गतिविधियां	कार्यान्वयन की वास्तविक स्थिति
			और लघु उद्योग विकास विभाग (20 हेक्टेयर से कम) इस कार्य का निर्वहन कर रहे हैं।
7.	शहरी सुविधाओं एवं पार्कों, उद्यानों, खेल के मैदानों जैसी सुविधाओं का प्रावधान (वि)	पार्कों एवं उद्यानों को बनाना	इन कार्यों के निर्वहन के लिए शहरी स्थानीय निकाय जिम्मेदार थे। हालाँकि भोपाल में राजधानी परियोजना प्रशासन भी इस कार्य का निर्वहन कर रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पार्कों का रखरखाव भी संबंधित स्मार्ट सिटी प्राधिकरण (नगरीय प्रशासन विकास विभाग के तहत कार्यरत) द्वारा किया जाता है।
8.	स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और सार्वजनिक सुविधाओं सहित जन सुविधाएं (अ)	स्ट्रीट लाइटों की स्थापना और रखरखाव	इन कार्यों के निर्वहन के लिए शहरी स्थानीय निकाय पूरी तरह से जिम्मेदार थे।
		बस मार्गों का निर्धारण और संचालन	नगरीय स्थानीय निकाय एवं निगरानी समिति संबंधित कलेक्टर की अध्यक्षता में इस कार्य का निर्वहन कर रहे हैं।
		पार्किंग स्थल का निर्माण और रखरखाव	शहरी स्थानीय निकाय इस कार्य का निर्वहन कर रहे हैं लेकिन संबंधित स्मार्ट सिटी भी अपने अधिकार क्षेत्र में पार्किंग स्थल का रखरखाव कर रही है।
		सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण और रखरखाव	
9.	सड़कों और पुल (अ)	सड़कों का निर्माण और रखरखाव	इन कार्यों के निर्वहन के लिए शहरी स्थानीय निकाय पूरी तरह से जिम्मेदार थे, लेकिन लोक निर्माण विभाग और राजधानी परियोजना प्रशासन (भोपाल में) भी इस कार्य का निर्वहन कर रही है।
		पुलों, नालों, फ्लाईओवरों और फुटपाथों का निर्माण और रखरखाव	
10.	घरेलू औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जल आपूर्ति (अ)	जल वितरण	इन कार्यों के निर्वहन के लिए शहरी स्थानीय निकाय पूरी तरह से जिम्मेदार थे, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अन्य सरकारी विभाग/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जैसे - एमपीएसआईडीसी, भेल (भोपाल में) और नेपा पेपर मिल (नेपानगर में), आदि भी यह कार्य कर रहे थे।
		कनेक्शन प्रदान करना	
		संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम)	
		शुल्क संग्रह	
11.	सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (अ एवं वि)	अस्पतालों, औषधालयों का रखरखाव	इनके कार्यों का निर्वहन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग कर रहा है।
		प्रतिरक्षण/ टीकाकरण	
		जन्म और मृत्यु का पंजीकरण	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और शहरी स्थानीय निकाय दोनों ही इस कार्य का निर्वहन कर रहे हैं।
		संक्रामक रोग से प्रभावित इलाकों की सफाई और विसंक्रमण	इन तीन कार्यों के निर्वहन के लिए शहरी स्थानीय निकाय पूरी तरह से जिम्मेदार थे।
		ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	

क्र. स.	अनिवार्य (अ)/ विवेकाधीन (वि) कार्य	गतिविधियां	कार्यान्वयन की वास्तविक स्थिति
		सार्वजनिक बाजारों का नियंत्रण और पर्यवेक्षण	
12.	शहरी वानिकी, पर्यावरण सुरक्षा और पर्यावरणीय पहलुओं को बढ़ावा देना (वि)	वनीकरण हरितीकरण जागरूकता अभियान पर्यावरण की सुरक्षा और पर्यावरणीय पहलुओं को बढ़ावा देना प्राकृतिक संसाधनों जैसे – जलाशय, आदि का रखरखाव।	वन विभाग और राजधानी परियोजना प्रशासन (भोपाल शहर में) इन कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। शहरी स्थानीय निकाय, जल संसाधन विभाग और नर्मदा घाटी विकास विभाग इस कार्य का निर्वहन कर रहे हैं।
13.	सांस्कृतिक, शैक्षिक और सौंदर्य संबंधी पहलुओं को बढ़ावा देना (अ एवं वि)	विद्यालय और शिक्षा सार्वजनिक स्थान का सौंदर्यीकरण मेले और त्यौहार सांस्कृतिक भवन संस्थान विरासत	शिक्षा विभाग इस कार्य का निर्वहन कर रहा है। शहरी स्थानीय निकाय इस कार्य का निर्वहन कर रहा है। शहरी स्थानीय निकाय, संस्कृति विभाग और पुरातत्व विभाग इन कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं।
14.	जन्म और मृत्यु पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण आंकड़े (अ)	जानकारी प्राप्त करने के लिए अस्पताल/ श्मशान घाटों, आदि के साथ समन्वय करना डेटाबेस बनाना और अद्यतन करना	शहरी स्थानीय निकाय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग इन कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं।
15.	भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों के निर्माण (वि)	भूमि उपयोग का विनियमन भवन योजनाओं/ ऊंचे भवनों को मंजूरी देना अवैध इमारतों को ध्वस्त करना	राजस्व विभाग (कलेक्टर कार्यालय) इस कार्य का निर्वहन कर रहा है। शहरी स्थानीय निकाय, नगर एवं ग्राम निवेश इस कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। शहरी स्थानीय निकाय एवं राजस्व विभाग इस कार्य का निर्वहन कर रहे हैं।
<b>शहरी स्थानीय निकाय केवल कार्यान्वयन संस्थाओं के रूप में</b>			
16.	शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना (वि)	लाभार्थियों की पहचान उपकरण/ लाभ जैसे- तिपहिया साइकिल प्रदान करना आवास कार्यक्रम छात्रवृत्ति	राज्य शासन के विभाग जैसे समाज कल्याण, आदिवासी कल्याण, विकलांग और वरिष्ठ नागरिकों का सशक्तिकरण और पेरिस्टेटल जैसे जिला शहरी विकास प्राधिकरण (जिला शहरी विकास एजेंसी) इन कार्यों के लिए जिम्मेदार थे। शहरी स्थानीय निकाय केवल केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लागू करने वाली संस्था थी।
17.	स्लम सुधार और उन्नयन (वि)	लाभार्थियों की पहचान किफायती आवास उन्नयन	

क्र. स.	अनिवार्य (अ)/ विवेकाधीन (वि) कार्य	गतिविधियां	कार्यान्वयन की वास्तविक स्थिति
18.	शहरी गरीबी उन्मूलन (वि)	लाभार्थियों की पहचान आजीविका और रोजगार फेरीवाले विक्रेता	इन कार्यों में शहरी स्थानीय निकायों की न्यूनतम भूमिका है।

(स्रोत: नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम एवं मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम से प्राप्त जानकारी)

स्थानीय स्वशासन के सशक्तिकरण को सभी कार्यों का हस्तांतरण कर पूरी तरह से प्राप्त किया जा सकता है। स्मार्ट सिटी के आगमन ने शहरी स्थानीय निकायों के कार्यक्षेत्र को और कम कर दिया है।

### स्मार्ट सिटी की भूमिका

#### मध्य प्रदेश में स्मार्ट सिटी का गठन और कार्यप्रणाली

भारत सरकार ने 25 जून 2015 को "100 स्मार्ट सिटी मिशन" की शुरुआत उन शहरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करते हैं और अपने नागरिकों को एक अच्छी गुणवत्ता, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण और 'स्मार्ट' समाधानों के अनुप्रयोग प्रदान करते हैं। मध्य प्रदेश में सात शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया था। मध्य प्रदेश में सात स्मार्ट सिटी इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और सतना शामिल हैं। मिशन दिशा-निर्देशों के तहत स्मार्ट सिटी द्वारा किए गए कार्य सड़कों के निर्माण, घरों के निर्माण, पार्कों के विकास और रखरखाव, विरासत स्थलों का नवीनीकरण, आदि से संबंधित हैं। इसके अलावा, क्षेत्र आधारित विकास की अवधारणा के तहत, कुछ क्षेत्र स्मार्ट सिटी को आवंटित किये गये हैं। उदाहरणार्थ भोपाल में, "उत्तर और दक्षिण टीटी नगर" और इंदौर में, "राजवाड़ा क्षेत्र" स्मार्ट सिटी द्वारा विकसित किये जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी को आवंटित धन भी महत्वपूर्ण है, जिसमें अवधि 2016-21 के दौरान भोपाल द्वारा ₹1,027.77 करोड़ का व्यय किया गया, और इंदौर द्वारा ₹773.58 करोड़ का व्यय 31 मार्च 2021 की स्थिति में किया गया।

स्मार्ट सिटी के कार्यों में भूमि उपयोग को बढ़ावा देना, आवास, सड़क, जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्कों का निर्माण और खुले स्थान विकसित करना शामिल है, जो अन्यथा मध्य प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों को सौंपे गए कार्य थे। जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, स्मार्ट सिटी को अपने कार्यों को निष्पादित करने के लिए महत्वपूर्ण धनराशि प्राप्त हो रही है, जिसका अन्यथा संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपयोग किया जा सकता था।

इसके अलावा, स्मार्ट सिटी मिशन दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्मार्ट सिटी के कार्यों और जिम्मेदारियों में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अधिकृत उपयोगकर्ता शुल्क का निर्धारण और संग्रहण, करों, अधिभार का संग्रहण, आदि शामिल हैं। इनमें शहरी स्थानीय निकायों की प्राप्तियों को और कम करने की क्षमता है।

स्मार्ट सिटी के गठन के फलस्वरूप, शहरी स्थानीय निकायों के कार्यों का दायरा एवं इनकी सीमा और कम हो गई है, जिसका प्रभाव शहरी स्थानीय निकायों के हस्तांतरित धन पर भी पड़ेगा, जिससे शहरी स्थानीय निकायों के पहले से ही दबावग्रस्त राजस्व में कमी आएगी।

### 3.2 कार्यबल पर सीमित अधिकार

शहरी स्थानीय निकायों को तालिका 3.2 में दर्शाये अनुसार विभिन्न शाखाओं के तहत संगठित किया गया है:

तालिका 3.2: शहरी स्थानीय निकायों में कार्यात्मक संगठन

क्र. स.	शाखा/ अनुभाग का नाम	कार्य
1	सामान्य प्रशासन	सामान्य प्रशासन, परिषद और समिति की बैठकों सहित ।
2	जल कार्य और सीवरेज	जलापूर्ति और सीवरेज नेटवर्क, आदि का निर्माण, संचालन और रखरखाव, आदि ।
3	लोक निर्माण और उद्यानिकी	सड़कों, नालों, भवनों, पार्कों, खेल के मैदानों का निर्माण, संचालन और रखरखाव तथा जल आपूर्ति ।
4	राजस्व	विभिन्न करों, किरायों, विज्ञापनों का आकलन और संग्रहण एवं अन्य संपत्ति संबंधी गतिविधियाँ ।
5	वित्त एवं लेखे	लेखों को तैयार करना और उनका रखरखाव, बजट तैयार करना, आदि ।
6	विद्युत एवं यांत्रिकी	स्ट्रीट लाइटिंग और भारी या हल्के मोटर वाहनों का रखरखाव, आदि ।
7	स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	स्वच्छता, सड़क की सफाई, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियाँ ।
8	सार्वजनिक परिवहन और यातायात नियंत्रण	सार्वजनिक परिवहन और यातायात नियंत्रण, आदि ।
9	योजना और सूचना प्रौद्योगिकी	नगर योजना से संबंधित गतिविधियाँ जैसे भवन अनुज्ञापत्र जारी करना, आदि ।
10	शहरी गरीबी उन्मूलन	सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन ।

### 3.2.1 शहरी स्थानीय निकायों में कार्यबल की स्थिति

कार्यबल का मूल्यांकन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए गए कार्यों पर इस दृष्टि से आधारित होना चाहिए कि सेवा उन्मुख अधिकांश कार्यों को उचित समय अवधि के भीतर पूरा किया जाना है। यह आकलन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा विभिन्न मानदंड यथा कवर किए जाने वाले भौगोलिक क्षेत्र की सीमा, जनसंख्या की सीमा और प्रकार, मौजूदा संपत्तियों की संख्या, आदि पर विचार करके, स्वयं सबसे अच्छा किया जा सकता है।

हमने पाया कि शहरी स्थानीय निकायों के पास न तो आवश्यक कार्यबल का मूल्यांकन करने का अधिकार था और न ही संविदा को छोड़कर, आवश्यक स्थायी कर्मचारियों की भर्ती कर सकते थे। ये शक्तियाँ राज्य सरकार में निहित हैं। शहरी स्थानीय निकायों से वास्तविक आवश्यकता की मांग किए बिना, राज्य सरकार केवल जनसंख्या के आधार पर आवश्यक कार्यबल का आकलन करती है, जिसकी चर्चा आगे की गई है।


इसके अलावा, राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकायों के मध्य अधिकारियों के स्थानांतरण भी कर सकती है। शहरी स्थानीय निकाय के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी पर शास्ति लगाने के किसी भी आदेश के खिलाफ अपील राज्य सरकार के पास होती है। समूह क, ख और ग के कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे, और उनकी सेवा-शर्तों, अनुशासन, साथ ही आचरण को विनियमित करने की शक्तियाँ भी राज्य सरकार के पास थीं।

जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए कर्मचारियों की संख्या में संशोधन नहीं किया गया था। चार्ट 1 में 2020<sup>7</sup> की अनुमानित जनसंख्या के प्रति 1000 कार्यबल के आधार पर शीर्ष पाँच और निचले पाँच शहरी स्थानीय निकायों की स्थिति को दर्शाया गया है। इन शहरी स्थानीय निकायों में, स्वीकृत

<sup>7</sup> 2020 की अनुमानित जनसंख्या = 2011 की जनसंख्या X 123 प्रतिशत। 2001 से 2011 के दस वर्षों में मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि 25.6 प्रतिशत रही, अतः 2011 से 2020 के नौ वर्षों में जनसंख्या वृद्धि के अनुसार 23 प्रतिशत गणना की गई ।




कार्यबल और कार्यरत कार्यबल के मध्य अत्यधिक अंतर देखा जा सकता है। यह इस तथ्य की व्याख्या करता है कि शहरी स्थानीय निकायों में कार्यबल की अत्यधिक कमी है।



(स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदत्त जानकारी)

चयनित शहरी स्थानीय निकायों में स्वीकृत पदों, कार्यरत व्यक्तियों एवं रिक्तियों की स्तरवार स्थिति नीचे चार्ट 2 में दी गयी है:



(स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदत्त जानकारी)

जैसा की चार्ट 2 से देखा गया है, क्रमशः नगर निगमों (8,534), नगरपालिका परिषदों (1,946) और नगर परिषदों (1,046) में स्टाफ में बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं।

शासन ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2021) कि नगर निगमों के पास कर्मचारियों की भर्ती करने का पूरा अधिकार है। नगरपालिका परिषद और नगरपालिका की संवर्ग संरचना को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है और शासन द्वारा राज्य स्तरीय संवर्ग पदों जैसे – मुख्य नगरपालिका अधिकारी, उप-अभियंता, आदि की नियुक्ति की जायेगी। व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को तृतीय श्रेणी

की भर्ती के लिए अधिकृत किया गया है, जबकि द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जा रही है।

हालाँकि, नगर निगमों द्वारा कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित आदेश विभाग ने उपलब्ध नहीं कराए। इसके अलावा, तथ्य यह भी है कि शहरी स्थानीय निकायों के तीनों स्तरों में अभी भी बड़ी रिक्तियाँ हैं, जिससे इन निकायों के सुचारु कामकाज प्रभावित हो रहे हैं।

### 3.3 शहरी स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण के लिए संस्थागत तंत्र

**तालिका 3.1** में शहरी स्थानीय निकायों को 18 कार्यों के हस्तांतरण की स्थिति का विवरण दिया गया है। इन कार्यों का निर्वहन तभी प्रभावी हो सकता है जब उपयुक्त संस्थान स्थापित हों।

मध्य प्रदेश नगर निगम और मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियमों के तहत, निगमों और नगरपालिकाओं में निर्वाचित पार्षदों, मनोनीत पार्षदों, विधान सभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राज्य सभा के सदस्य होते हैं, जो नगरपालिका क्षेत्र में आने वाले निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। मनोनीत सदस्यों के पास मतदान का अधिकार नहीं होता है। एक महापौर, यानी अध्यक्ष, सीधे नगरपालिका क्षेत्र से चुने जाते हैं और पार्षद सीधे वार्डों से चुने जाते हैं। नगर निगमों, नगरपालिका परिषदों और नगर परिषदों में आवंटित कार्यों के निर्वहन के लिए विभिन्न विभाग<sup>8</sup> हैं। आयुक्त/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शहरी स्थानीय निकाय का कार्यकारी प्रमुख होता है।

यह खंड ऐसे संस्थागत तंत्र की प्रभावशीलता पर चर्चा करता है।

#### 3.3.1 राज्य निर्वाचन आयोग

दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और आरक्षण का कार्य राज्य चुनाव आयोग को सौंपा जाए। इस सिफारिश को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया था।

राज्य चुनाव आयोग की शक्तियों में निर्वाचक नामावली तैयार करने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एवं शहरी स्थानीय निकायों के लिए सभी चुनावों का संचालन कार्य शामिल है।

हालाँकि, मध्य प्रदेश में, शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अधिकार राज्य सरकार के पास है।

#### 3.3.2 चुनावों और परिषदों के गठन की स्थिति

प्रत्येक नगर निगम/ नगरपालिका, जब तक पहले ही भंग न हो, अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से पाँच साल तक जारी रहेगी, उससे अधिक नहीं। शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव उनकी अवधि समाप्त होने से पहले कराये जायेंगे। भंग होने की स्थिति में, उस तिथि से छह माह के भीतर चुनाव कराये जायेंगे। इन अधिनियमों के प्रावधानों के अधीन, महापौर/ अध्यक्ष और प्रत्येक पार्षद का कार्यकाल निगम/ परिषद के कार्यकाल के साथ-साथ समाप्त होगा।

कुल 407 शहरी स्थानीय निकायों में से केवल 60 में चुनाव जनवरी 2017 और जनवरी 2018 के बीच हुए थे। शेष 347 शहरी स्थानीय निकाय, राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम कर रहे हैं, जिनमें चुनाव लंबित हुए एक महीने से लेकर 49 महीने हो चुके हैं। 347 शहरी स्थानीय निकायों में चुनाव की स्थिति का विवरण नीचे **तालिका 3.3** में दिया गया है:

<sup>8</sup> नगर निगम, नगरपालिका परिषद एवं नगर परिषद के पास क्रमशः 10, सात एवं पाँच विभाग हैं। शहरी स्थानीय निकाय आंतरिक व्यवस्था के रूप में आवंटित कार्यों को विभिन्न अनुभागों के माध्यम से करते हैं, जिन्हें वे विभाग कहते हैं।

तालिका 3.3: शहरी स्थानीय निकायों में चुनाव का आयोजन

क्र. स.	पिछला चुनाव आयोजित हुआ		चुनाव लंबित है, किंतु आयोजित नहीं किया गया		नए शहरी स्थानीय निकायों की संख्या जहां चुनाव होने हैं	कुल शहरी स्थानीय निकायों की संख्या जहां चुनाव होने हैं	अगस्त 2021 तक चुनाव में देरी (महीनों में)
	माह/ वर्ष	शहरी स्थानीय निकायों की संख्या	माह/ वर्ष	शहरी स्थानीय निकायों की संख्या			
1	जून 2012	1	अगस्त 2017	1	8	9	49
2	जनवरी से अप्रैल 2013	4	फरवरी से जून 2018	4	6	10	41
3	अगस्त से सितंबर 2013	2	सितंबर से अक्टूबर 2018	2	15	17	35
4	फरवरी 2014	1	जून 2019	1	0	1	27
5	अगस्त 2014	2	अगस्त 2019	2	0	2	25
6	नवंबर 2014 से जनवरी 2015	287	दिसंबर 2019	287	0	287	21
7	अगस्त 2015	10	सितंबर 2020	10	0	10	11
8	दिसंबर 2015	8	जनवरी 2021	8	0	8	07
9	जुलाई 2016	3	अगस्त 2021	3	0	3	01
	<b>योग</b>	<b>318</b>		<b>318</b>	<b>29</b>	<b>347</b>	

(स्रोत: नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

इस प्रकार, निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले चुनाव कराने के अधिनियम में निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।

हमने पाया कि राज्य शासन द्वारा मेयर/ अध्यक्ष के लिए आरक्षण में विभिन्न श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए क्रमावर्तन का पालन 2015-16 में हुए चुनाव के दौरान नहीं किया गया था।

शासन ने उत्तर में बताया (नवंबर 2021) कि क्रमावर्तन प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता और औचित्य को न्यायालय में चुनौती दी गई है। विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है और माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

अन्य संस्थागत तंत्रों के संबंध में, हमने निम्नलिखित पाया:

- निगम/ परिषद को अपने कार्यों के निर्वहन के लिए हर दो महीने में कम से कम एक बार बैठक करनी चाहिये। आगे, निगम की प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त राज्य शासन या निर्धारित प्राधिकारी को भेजा जाना आवश्यक है और साथ ही इसकी एक प्रति निगम/ परिषद के नोटिस बोर्ड पर कार्यवृत्त की पुष्टि दिनांक से सात/ दस दिनों के भीतर चिपका दी जाएगी।

चयनित 33 शहरी स्थानीय निकायों में बैठकों का विवरण परिशिष्ट 4 में दिया गया है। 2015-20 के दौरान 1,011 बैठकों की आवश्यकता के विरुद्ध वास्तव में 887 बैठकें

आयोजित की गई थीं। हमने यह भी पाया कि नौ<sup>9</sup> शहरी स्थानीय निकायों में विलम्ब के छः से कम मामले थे, 15<sup>10</sup> शहरी स्थानीय निकायों में विलम्ब के मामले 10 से अधिक थे।

शासन ने उत्तर में बताया (नवंबर 2021) कि इन मामलों में अद्यतन स्थिति लेखापरीक्षा निष्कर्षों की उचित जाँच के बाद प्रदान की जाएगी।

- परिषद की पहली बैठक के बाद, अध्यक्ष निर्वाचित पार्षदों में से परिषद के प्रत्येक विभाग के लिए एक सलाहकार समिति का गठन करेगा जो हर दो महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

चयनित 33 शहरी स्थानीय निकायों में से 12<sup>11</sup> शहरी स्थानीय निकायों के विभागों में सलाहकार समितियों का गठन नहीं किया गया है। आगे, सलाहकार समितियों की बैठकें केवल सात<sup>12</sup> शहरी स्थानीय निकायों में आयोजित की गई थीं।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (नवंबर 2021) कि सलाहकार समितियों का गठन अनिवार्य रूप से किया जाना है और लेखापरीक्षा निष्कर्षों की उचित जाँच के बाद अद्यतन स्थिति प्रदान की जाएगी।

### 3.3.3 विभिन्न समितियों का गठन और कार्य प्रणाली

- अध्यक्ष के चुनाव की तारीख से तीस दिनों के भीतर, तीन लाख या उससे अधिक की आबादी वाली प्रत्येक नगरपालिका के लिए, एक या अधिक वार्ड वाली वार्ड समितियों का गठन किया जाना चाहिए।

- प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र में, जो कि राज्य शासन द्वारा इस हेतु अधिसूचित है, अधिसूचना जारी करने के तारीख से तीन महीने के भीतर एक मोहल्ला समिति का भी गठन किया जाना है। हमने देखा कि चयनित नगरीय स्थानीय निकायों में वार्ड समितियों का गठन केवल ग्वालियर एवं जबलपुर में तथा मोहल्ला समिति का गठन केवल जबलपुर में किया गया था। इससे स्थानीय शासन में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने का उद्देश्य विफल हुआ, जिससे विकास कार्यों की प्राथमिकता, कार्यों के निष्पादन की निगरानी, सृजित संपत्ति के उपयोग और रखरखाव, आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

शासन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2021) कि मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार निर्देश जारी किये जा रहे हैं। तत्पश्चात इसकी सतत् समीक्षा की जाएगी।

- जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने और समग्र रूप से जिले के लिए विकास योजना का मसौदा तैयार करने के लिए प्रत्येक जिले में एक जिला योजना समिति का गठन किया जाना है। इन योजनाओं में स्थानिक योजना; पानी एवं अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों का बंटवारा; बुनियादी ढांचे का एकीकृत विकास एवं पर्यावरण संरक्षण; और उपलब्ध संसाधनों की सीमा और प्रकार, चाहे वित्तीय हों या अन्यथा, शामिल होंगे। विकास योजना को राज्य योजना में एकीकृत किया जाना था। इसके अलावा, समिति की बैठक वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। यद्यपि जिला योजना समितियों का गठन किया गया था, हमने पाया कि समितियों की बैठकें नियमित रूप से नहीं हुई थीं और समग्र रूप से जिले

<sup>9</sup> अनूपपुर, बालाघाट, भैंसदेही, बिछिया, छतरपुर, ग्वालियर, कुरावर, लौंडी एवं सेंधवा।

<sup>10</sup> बडोनी, भेड़ाघाट, छिंदवाड़ा, हाटपिपल्या, इछावर, जबलपुर, जावद, खातेगांव, मण्डीदीप, मौ, आंकारेश्वर, रायसेन, राघोगढ़, राजगढ़ एवं सुल्तानपुर।

<sup>11</sup> बडोनी, बालाघाट, बिछिया, भोपाल, डोंगर परासिया, हाटपिपल्या, जावद, कुरावर, रायसेन, राघोगढ़, सेंधवा और सुल्तानपुर।

<sup>12</sup> चंदेरी, छतरपुर, छिंदवाड़ा, मौ, नेपानगर, सतई और सिवनी।

के लिए समेकित जिला विकास योजना 25 जिलों में किसी में भी तैयार नहीं की गई थी जिनमें 33 नमूना-जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकाय स्थित थे। समीक्षा बैठकों में छः से 20 बैठकों (30 प्रतिशत से 100 प्रतिशत) तक की कमी थी जिसका विवरण **परिशिष्ट 5** में दिया गया है।

शासन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2021) कि पहले जिला विकास योजनाएं तैयार करना प्रचलन में था, लेकिन अब यह रुक गया है। इस संबंध में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से चर्चा कर दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

- प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र<sup>13</sup> में अपनी विकास योजना तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति होगी। हमने पाया कि मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम में प्रावधान के अभाव में किसी भी शहर में महानगर योजना समिति का गठन नहीं किया गया था। इस प्रकार, महानगरीय क्षेत्र का व्यापक विकास और स्थानीय संस्थाओं के मध्य सामान्य हित के मामले जिसमें मुख्य रूप से – क्षेत्र की समन्वित स्थानिक योजना, पानी का बंटवारा, अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों का बंटवारा और बुनियादी ढांचे के एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे शामिल हैं, को कुछ बेहतर तरीके से किए जाने की संभावना है।

शासन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2021) कि नगर निगम भोपाल के मामले में संशोधित अधिसूचना जारी कर दी गई है।

हालाँकि, इसे सभी महानगरीय क्षेत्रों में लागू किये जाने के लिए अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता होगी।

- लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए नगरपालिका लेखा समिति का गठन किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा में इंगित दोषों या अनियमितताओं को दूर किया जाना है और राज्य सरकार को एक रिपोर्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर भेजी जानी है। जबलपुर को छोड़कर किसी भी चयनित नगर निगम में नगरपालिका लेखा समिति का गठन नहीं किया गया था। 1954-55 से 2019-20 की अवधि से संबंधित 24,437 लेखापरीक्षा कंडिकाएं चयनित 33 शहरी स्थानीय निकायों में से 30<sup>14</sup> में लंबित थीं।

शासन ने बताया (नवम्बर 2021) कि निरीक्षण प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के निराकरण हेतु शासन स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

### 3.3.4 राज्य वित्त आयोग

प्रत्येक पाँच साल में गठित राज्य वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा और राज्यपाल को सिफारिशें भेजेगा।

तदनुसार, छठा राज्य वित्त आयोग 2019-20 में गठित होना था। हालाँकि, आज की तारीख में, तीसरे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया जा रहा था। चौथे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को शासन द्वारा जुलाई 2017 में स्वीकार किया गया था, लेकिन सरकार ने इन सिफारिशों को पाँचवें राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के साथ लागू करने का फैसला किया। राज्य वित्त आयोग के गठन और राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में देरी का विवरण नीचे **तालिका 3.4** में दिया गया है:

<sup>13</sup> दस लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र।

<sup>14</sup> तीन शहरी स्थानीय निकायों (राजगढ़, रायसेन एवं नेपानगर) द्वारा जानकारी प्रदान नहीं की गई।

तालिका 3.4: राज्य वित्त आयोग के गठन और राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में देरी का विवरण

राज्य वित्त आयोग	संविधान के अनुसार गठित होना था	गत राज्य वित्त आयोगों के संदर्भ में गठित होना था	वास्तविक गठन दिनांक	गठन में विलंब (दिनों में)	सिफारिशें जमा करने की तिथि	शासन द्वारा सिफारिशें स्वीकार करने की तिथि	सिफारिशें स्वीकार करने में लगे दिन	शामिल अवधि
प्रथम	31 मई 1994 तक	31/05/1994	25/02/1995	169	20/07/1996	13/02/1998	569	1996-01
द्वितीय	1999-2000	24/02/2000	17/06/1999	कोई विलंब नहीं	22/07/2003	31/12/2003	159	2001-06
तृतीय	2004-05	16/06/2004	12/07/2005	390	31/10/2008	05/02/2010	460	2006-20
चतुर्थ	2009-10	11/07/2010	27/01/2012	564	30/01/2017	20/07/2017	170	N/A
पंचम	2014-15	24/01/2017	20/03/2017	54	31/01/2018	प्रतीक्षारत	N/A	N/A
छठा	2019-20				गठन नहीं हुआ			

(स्रोत: वित्त आयोग की रिपोर्ट और स्वीकृति की अधिसूचना)

राज्य वित्त आयोगों के गठन और राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में देरी के परिणामस्वरूप शहरी स्थानीय निकायों को निधियों के हस्तांतरण में और विलंब हुआ, जिससे शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई। इसके अतिरिक्त, पाँचवें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें जो जनवरी 2018 में प्रस्तुत की गई थीं, छठे राज्य वित्त आयोग के गठन का समय होने पर भी शासन द्वारा अब तक (नवंबर 2021) स्वीकार नहीं की गई। इसके प्रभाव की चर्चा कंडिका 4.1.2 में की गई है।

### 3.3.4.1 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया

राज्य सरकार राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को समग्रता में या संशोधनों के साथ स्वीकार कर सकती है। हमने पाया कि राज्य सरकार ने कुछ सिफारिशों को संशोधनों के साथ स्वीकार किया और अन्य सिफारिशों पर कार्रवाई अभी शुरू की जानी है। तीसरे और चौथे राज्य वित्त आयोगों की महत्वपूर्ण सिफारिशें और निधियों के हस्तांतरण के संदर्भ में उनके संशोधन नीचे तालिका 3.5 में दिए गए हैं:

तालिका 3.5: राज्य वित्त आयोगवार प्रमुख सिफारिशें और उनका संशोधन

राज्य वित्त आयोग	सिफारिशें	संशोधन
प्रथम	राज्य के शुद्ध कर राजस्व का 8.699 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करना।	राज्य के शुद्ध कर राजस्व का 0.514 प्रतिशत 1998-99 से अंतरित किया जाना है।
द्वितीय	नगरपालिकाओं को सामान्य प्रयोजन अनुदान के रूप में ₹8.5 करोड़ प्रदान किए जाने हैं।	राज्य सरकार ने इस सिफारिश को नहीं माना।
तृतीय	राज्य के स्वयं के कर राजस्व का एक प्रतिशत, 10 प्रतिशत कर संग्रहण व्यय एवं सौंपे गए कर राजस्व <sup>15</sup> की राशि को घटाकर, शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरण।	राज्य सरकार ने सिफारिश को स्वीकार कर लिया।

<sup>15</sup> शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लगाये एवं संग्रहित कर, जैसे चुंगी (1976 से पूर्व), निर्यात कर (2013 से पूर्व), और यात्री/ तीर्थयात्री कर (1995 से पूर्व)।

राज्य वित्त आयोग	सिफारिशें	संशोधन
चतुर्थ	10 प्रतिशत संग्रहण व्यय तथा सौंपे गए कर राजस्व की राशि घटाकर राज्य के स्वयं के कर राजस्व का दो प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरण।	इन सिफारिशों पर तत्काल विचार नहीं किया गया और इसे पाँचवें राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक के लिए टाल दिया गया। हालाँकि, तीसरे राज्य वित्त आयोग की सिफारिश अनुसार, स्वयं के कर राजस्व का एक प्रतिशत की दर से हस्तांतरित किया जा रहा है।

#### (स्रोत: राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशें)

शासन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2021) कि वर्तमान में तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

### 3.3.5 संपत्ति कर मण्डल

13वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर नगरपालिकाओं को संपत्ति कर के उद्ग्रहण और वसूली में सहायता के लिए राज्य में एक संपत्ति कर बोर्ड (बोर्ड) का गठन (मार्च 2011) किया गया था। आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, मध्य प्रदेश, बोर्ड के अध्यक्ष हैं।

बोर्ड द्वारा, राज्य में लगाए गए संपत्ति कर के कम से कम पाँच प्रतिशत मामलों का मूल्यांकन करना; शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लगाये और वसूल किये गये संपत्ति कर, मानदंडों के अनुसार थे, की निगरानी और मूल्यांकन करना; वर्ष के दौरान इनकी गतिविधियों की एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर राज्य राजपत्र में एक प्रतिवेदन प्रकाशित करना और इसे राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करना तथा संपत्ति कर से संबंधित कर्मचारियों की क्षमता वृद्धि के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना अपेक्षित था।

हमने देखा कि उपरोक्त गतिविधियों में से कोई भी बोर्ड द्वारा नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, इसके गठन (मार्च 2011) के बाद, बोर्ड की केवल पाँच बार बैठक हुई। चौथी बैठक (मई 2014) के बाद, इसकी पाँचवीं बैठक 13 सितंबर 2019 को पाँच<sup>16</sup> साल से अधिक के अंतराल के बाद आयोजित की गई थी।

इस प्रकार, बोर्ड का गठन केवल एक औपचारिकता थी और बोर्ड द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को उनकी राजस्व वसूली क्षमताओं को बढ़ाने में सहायता/ मार्गदर्शन करने के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किया गया था।

शासन ने उत्तर दिया (नवंबर 2021) कि गठित बोर्ड को सशक्त किया जा रहा है और तदनुसार विभाग ने पिछले साल एक संपत्ति कर टूल बनाया है जिसमें एक अंतर्निर्मित सेल्फ-बॉयन्सी मेकेनिज्म है। संपत्ति कर को कलेक्टर के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुक्रमित किया जाएगा और फलस्वरूप संपत्ति कर में हर साल वृद्धि होगी।

### 3.3.6 एक्रुअल आधारित लेखांकन प्रणाली अपनाना

11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर, भारत के सीएजी ने भारत में शहरी स्थानीय निकायों के लिए बजट और लेखा प्रारूपों की सिफारिश करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया था। सीएजी टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा एक्रुअल आधारित लेखांकन पद्धति अपनाने का सुझाव दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी शहरी स्थानीय निकायों में 1 जुलाई, 2007 से एक्रुअल आधारित दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली की शुरुआत की।

<sup>16</sup> दिनांक 15/12/2011, 28/07/2012, 18/09/2012, 15/05/2014, और 13/09/2019 को मीटिंग का आयोजन किया गया।

407 शहरी स्थानीय निकायों में से 341 ने मध्य प्रदेश नगरपालिका लेखा नियमावली के अनुसार चरणबद्ध तरीके (छ: चरणों) में एकुअल आधारित दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली को अपनाया है।

शासन ने उत्तर दिया (नवंबर 2021) कि राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में “एकुअल आधारित दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली” को लागू करना उनकी प्राथमिकता है। यह कार्य विभिन्न चरणों में किया जा रहा है तथा शेष नगरीय स्थानीय निकायों में इसे शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा।

### **अनुशंसाएं:**

1. शासन परिसीमन का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपने और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव समय पर सुनिश्चित करने पर विचार कर सकता है।
2. नगरीय स्थानीय निकायों में मध्य प्रदेश नगर निगम/ मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियमों के अनुसार विभिन्न समितियाँ, जैसे सलाहकार समिति, वार्ड समिति एवं मोहल्ला समिति का गठन किया जा सकता है तथा उन्हें प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए पोषित एवं प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
3. शासन राज्य वित्त आयोग के गठन में विलंब से बच सकता है और उनकी अनुशंसाओं का त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित कर सकता है।
4. आवश्यक कर्मचारियों के आंकलन और भर्ती जैसे मामलों में शहरी स्थानीय निकायों को कार्यबल संसाधनों पर पर्याप्त अधिकार सौंपे जाने चाहिए।



**अध्याय IV**  
**शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय**  
**संसाधन**



## अध्याय IV

### शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधन

#### सारांश

शहरी स्थानीय निकायों के कुल वित्तीय संसाधनों (₹36,999.9 करोड़) में स्वयं के राजस्व (₹7,227.5 करोड़) का हिस्सा लगभग 20 प्रतिशत है। दूसरी ओर, राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को 2015-20 के दौरान निधियों का हस्तांतरण तीसरे राज्य वित्त आयोग के मानदंडों से ₹312.6 करोड़ कम था।

शहरी स्थानीय निकायों ने वेट/ जीएसटी के वास्तविक आकलन के बिना बजट तैयार किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹1,465.8 करोड़ की कम वसूली हुई।

2015-20 की अवधि के लिए संपत्ति कर का औसत संग्रह कुल मांग का 60 प्रतिशत था। 2017-20 की अवधि के दौरान संग्रह 69 से घटकर 45 प्रतिशत हो गया। चयनित शहरी स्थानीय निकायों में मार्च 2020 तक संग्रहण के लिए ₹269.66 करोड़ की राशि बकाया थी। जीआईएस सर्वेक्षण केवल 123 (30 प्रतिशत) शहरी स्थानीय निकायों में आयोजित किया गया था। चयनित 12 नगरपालिका परिषदों में से, केवल राघोगढ़ एवं सिवनी तथा 17 चयनित नगर परिषदों में से, केवल सुल्तानपुर ने संपत्ति कर के एवज में सेवा प्रभार वसूल किया।


इसी प्रकार, 33 चयनित शहरी स्थानीय निकायों के जल प्रभार के मामले में 2016-20 के दौरान संग्रहण 29 से घटकर 15 प्रतिशत रह गया है। मार्च 2020 तक चयनित शहरी स्थानीय निकायों में जल प्रभार की राशि ₹375.40 करोड़ बकाया थी। इसके अतिरिक्त, हमने देखा कि किसी भी चयनित शहरी स्थानीय निकाय ने पानी के कनेक्शन के लिए मीटर स्थापित नहीं किया था और केवल निश्चित जल शुल्क अधिरोपित किया जा रहा था। अतः हितग्राहियों से मासिक जल प्रभार का संग्रहण, जलापूर्ति के संचालन एवं अनुरक्षण पर किये गये व्यय के विरुद्ध अपर्याप्त था। पट्टाधारकों/ अधिभोगियों के विरुद्ध भी दुकान का किराया ₹8.90 करोड़ बकाया था।

जमीनी स्तर पर सौंपे गए कार्यों की प्रभावशीलता के संदर्भ में, शहरी स्थानीय निकाय आम तौर पर शौचालयों के कवरेज और टोस अपशिष्ट प्रबंधन के घरेलू स्तर के कवरेज को प्राप्त करने में प्रभावी थे, लेकिन जहां तक अन्य मानकों का संबंध है, वहां कमियां थीं।

किसी भी कार्य के निर्वहन को सुनिश्चित करने के लिए सतत वित्तपोषण सर्वोपरि है। सौंपे गये कार्यों को शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रभावी ढंग से तभी किया जा सकता है, जब उन्हें पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का समर्थन प्राप्त हो। इस तरह के वित्तीय संसाधन प्रत्याशित वित्तीय हस्तांतरण या स्वयं के राजस्व स्रोतों तक पहुंच का रूप ले सकते हैं जो उचित व्यय शक्तियों के साथ, व्यय दायित्वों सहित पूर्णतः विकसित और अनुरूप हैं। एक मजबूत राज्य वित्त आयोग तंत्र और राज्य एवं केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुपालन के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों को अनुमानित वित्तीय हस्तांतरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। राजस्व के अपने स्रोतों तक पहुंच में विशिष्ट राजस्व स्रोतों को लगाने और एकत्र करने की शक्ति दोनों शामिल होंगे। व्यय शक्तियाँ उचित प्रत्यायोजन सीमाओं को संदर्भित करती हैं जो शहरी स्थानीय निकायों को अपने वित्तीय संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति देती हैं।

#### 4.1 राजस्व के स्रोत

2015-20 की अवधि के दौरान राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व का विवरण नीचे चार्ट 3 और तालिका 4.1 में दर्शाया गया है:



(स्रोत: नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय से प्राप्त जानकारी)

तालिका 4.1: 2015–20 की अवधि के दौरान शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	स्वयं का राजस्व	सौंपे गये राजस्व	अनुदान	कुल राजस्व	स्वयं के राजस्व का कुल राजस्व की तुलना में प्रतिशत	कुल राजस्व में वित्तीय हस्तांतरण का प्रतिशत
2015–16	1,121.4	2,946.4	1,959.4	6,027.2	18.6	32.5
2016–17	1,400.2	3,013.2	2,569.6	6,981.0	20.0	36.8
2017–18	1,624.4	3,378.0	2,964.6	7,967.1	20.4	37.2
2018–19	1,653.4	3,813.7	2,941.2	8,408.3	19.6	34.0
2019–20	1,428.1	3,295.1	2,890.3	7,613.5	18.8	37.9
<b>योग</b>	<b>7,227.5</b>	<b>16,446.4</b>	<b>13,325.1</b>	<b>36,999.1</b>	<b>19.4</b>	<b>36.0</b>

(स्रोत: नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय से प्राप्त जानकारी)

शहरी स्थानीय निकायों के कुल वित्तीय संसाधनों में स्वयं के राजस्व का हिस्सा लगभग 20 प्रतिशत है। इस प्रकार, शहरी स्थानीय निकाय बड़े पैमाने पर अन्य राजस्व स्रोतों पर निर्भर हैं, जो उनके नियंत्रण में नहीं हैं। इसके अलावा, 2018–20 की अवधि में स्वयं के संसाधनों का हिस्सा घट रहा था।

शासन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2021) कि नगरीय स्थानीय निकायों को निर्देश जारी कर स्वयं के राजस्व में वृद्धि करने का सतत प्रयास किया जा रहा है।

#### 4.1.1 शहरी स्थानीय निकायों का स्वयं का राजस्व

शहरी स्थानीय निकायों के पास एक बड़ा स्वतंत्र कर क्षेत्र नहीं है। भूमि और भवनों पर संपत्ति कर शहरी स्थानीय निकायों के स्वयं के राजस्व का मुख्य आधार है। शहरी स्थानीय निकायों के स्वयं के गैर-कर राजस्व में जल प्रभार, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से किराया, व्यापार लाइसेंस, योजनाओं/म्यूटेशन की मंजूरी के लिए शुल्क, आदि शामिल हैं। 2015–20 की अवधि के लिए शहरी स्थानीय

निकायों के कुल राजस्व में स्वयं के राजस्व के हिस्से की नमूना-जाँच की गई जो शहरी स्थानीय निकायों में 6 से 36 प्रतिशत के बीच था, जैसा कि नीचे तालिका 4.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.2: 2015-20 के लिए कुल वित्तीय संसाधनों के प्रति कुल स्वयं के राजस्व का विवरण (₹ करोड़ में)

शहरी स्थानीय निकाय का प्रकार	सौंपे गये राजस्व	स्वयं का राजस्व	सरकारी अनुदान	अन्य, यदि कोई हो	कुल वित्तीय संसाधन	वित्तीय संसाधनों के प्रति स्वयं के राजस्व का प्रतिशत
नगर निगम	2,939.7	3,887.3	2,733.5	1,101.5	10,661.9	36.5
नगरपालिका परिषद	379.0	163.6	574.7	63.9	1,181.3	13.9
नगर परिषद	141.3	39.2	353.0	85.2	618.8	6.3

(स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि नगरपालिका परिषदों और नगर परिषदों की वित्तीय स्थिति अत्यधिक नाजुक है और वे पूरी तरह से सरकारी अनुदान पर निर्भर हैं। यहां तक कि नगर निगम भी कुल राजस्व का लगभग 36 प्रतिशत ही अपने स्वयं के राजस्व के रूप में एकत्र कर रहे हैं।

शासन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2021) कि राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कर संग्रहण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और हाल के वर्षों में कर संग्रह में वृद्धि हुई है। शहरी स्थानीय निकायों, जहां कर संग्रह में वृद्धि की गति कम है, की लगातार समीक्षा की जा रही है। वर्तमान में कर संग्रह को गतिशील बनाने के लिए ई-नगरपालिका, आदि जैसी योजनाएं लागू की जा रही हैं।

#### 4.1.1.1 शिक्षा उपकर का उपयोग

शहरी स्थानीय निकायों को उन भूमि/ भवनों के वार्षिक किराये मूल्य के पाँच प्रतिशत से अनधिक की दर से शिक्षा उपकर लगाने की अनुमति है जिन पर संपत्ति कर लगाया गया था। राजस्व का उपयोग नगरपालिका क्षेत्र के भीतर सरकारी स्कूलों के रखरखाव, स्वच्छता और पीने योग्य पानी की सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाना है।

2015-20 के दौरान, 31<sup>17</sup> शहरी स्थानीय निकायों ने ₹101.38 करोड़ की राशि का संग्रह किया, जिसमें से ₹71.88 करोड़, जो की संग्रह का 71 प्रतिशत हैं, 10 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपयोग किया गया था और ₹29.51 करोड़ अप्रयुक्त रहे (परिशिष्ट 6)।

शासन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2021) कि नगरीय क्षेत्रों में स्थित सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किये जायेंगे तथा बजट में आवश्यक प्रावधान भी किये जायेंगे।

#### 4.1.2 शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय हस्तांतरण

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा हस्तांतरण के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में धन हस्तांतरित किया गया था। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार से प्राप्त अनुदान, 2015-20 की अवधि के दौरान राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व का 36 प्रतिशत है।

<sup>17</sup> नगर निगम भोपाल ने जानकारी नहीं दी जबकि नगर परिषद मौ को शिक्षा उपकर के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

• विभाज्य निधि का कम जारी किया जाना

चौथे राज्य वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों को विभाज्य निधि<sup>18</sup> से दो प्रतिशत की दर से हस्तांतरण की सिफारिश की, लेकिन राज्य सरकार ने पाँचवें राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के साथ इस सिफारिश पर विचार करने का निर्णय लिया। राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित की जाने वाली और वास्तविक रूप से हस्तांतरित की जाने वाली निधियां नीचे तालिका 4.3 में दी गई हैं:

तालिका 4.3: राज्य वित्त आयोग अनुदान के अल्प हस्तांतरण का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पिछले वर्ष के दौरान राज्य का अपना कर राजस्व (पिछले वर्ष के खाते के आधार पर)	शुद्ध कर राजस्व 10 प्रतिशत संग्रह शुल्क की कटौती के बाद	पिछले वर्ष के आवंटित राजस्व की राशि	राज्य की विभाज्य निधि (शुद्ध कर राजस्व में से सौंपे गये राजस्व घटाने पर)	तीसरे राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार हस्तांतरित की जाने वाली निधि (विभाज्य निधि का एक प्रतिशत)	राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित निधि	कमी
2015-16	36,567.3	32,910.6	2,946.4	29,964.2	299.6	271.3	28.3
2016-17	40,213.7	36,192.3	3,013.2	33,179.1	331.8	259.8	72.0
2017-18	44,193.7	39,774.3	3,378.0	36,396.3	364.0	326.7	37.3
2018-19	44,810.9	40,329.8	3,813.7	36,516.1	365.2	309.2	55.9
2019-20	50,882.4	45,794.2	3,296.0	42,498.2	425.0	306.0	119.0
<b>योग</b>	<b>2,16,667.9</b>	<b>1,95,001.1</b>	<b>16,447.3</b>	<b>1,78,553.8</b>	<b>1,785.5</b>	<b>1,472.9</b>	<b>312.6</b>

(स्रोत: राज्य वित्त लेखा एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को निधियों का हस्तांतरण तीसरे राज्य वित्त आयोग के मानकों की तुलना में ₹312.6 करोड़ कम था। 2015-20 की अवधि के दौरान औसतन शहरी स्थानीय निकायों को लगभग 82 प्रतिशत निधि प्राप्त हुई।

• सौंपे गये राजस्व की वृद्धि की प्रवृत्ति

सौंपे गये राजस्व शहरी स्थानीय निकायों के कुल राजस्व का 44 प्रतिशत है। इनमें चुंगी क्षतिपूर्ति, निर्यात कर, यात्री कर और तीर्थयात्री कर शामिल हैं। वर्षवार सौंपे गये राजस्व का विवरण तालिका 4.4 में दिखाया गया है।

तालिका 4.4: सौंपे गये राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)


विवरण	वर्ष				
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
चुंगी क्षतिपूर्ति	2,736.0	2,802.7	3,167.6	3,648.0	3,120.0
निर्यात कर	120.4	120.4	120.4	104.6	103.0
यात्री कर	90.0	90.0	90.0	61.1	72.2
तीर्थयात्री कर	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
<b>योग</b>	<b>2,946.4</b>	<b>3,013.2</b>	<b>3,378.0</b>	<b>3,813.7</b>	<b>3,296.0</b>

(स्रोत: नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय)

<sup>18</sup> राज्य का शुद्ध कर राजस्व केंद्रीय करों में राज्य सरकार की हिस्सेदारी, संग्रह शुल्क और सौंपे गये राजस्व के रूप में 10 प्रतिशत की कटौती के बाद निकाला जाता है। शुद्ध कर राजस्व को विभाज्य निधि के रूप में जाना जाता है और इसे विभिन्न विभागों के बीच उनकी गतिविधियों को चलाने के लिए वितरित किया जाता है।

चुंगी<sup>19</sup> को अधिरोपित और संग्रह की शक्ति को वापस लेने के बाद, तीसरे वित्त आयोग ने सिफारिश की कि मध्य प्रदेश सरकार कर एकत्र करेगी और इसे शहरी स्थानीय निकायों को आबादी के आधार पर सौंपे गये राजस्व के रूप में उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा, तीसरे राज्य वित्त आयोग ने भी 1976 से 2007 की अवधि के लिए चुंगी क्षतिपूर्ति का विश्लेषण किया और पिछले वर्षों की तुलना में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की दर से क्रमिक वृद्धि देखी।

चुंगी क्षतिपूर्ति के मामले में कुल सौंपे गये राजस्व में भी धीरे-धीरे वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन हमने वर्ष 2019-20 के दौरान सौंपे गये राजस्व में नकारात्मक वृद्धि देखी, जैसा कि नीचे चार्ट 4 में दर्शाया गया है:



(स्रोत: नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय से प्राप्त जानकारी)

यह स्पष्ट है कि सौंपे गये राजस्व का हस्तांतरण, 2015-19 की अवधि के दौरान लगभग जारी की गई निधि के अनुरूप था, जबकि यह 2019-20 में ₹998.91 करोड़ से कम था, जिसने शहरी स्थानीय निकायों के कामकाज को प्रभावित किया।

शासन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2021) कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त करों के अनुपात में विभाग को सौंपे गये राजस्व बजटीय तंत्र के माध्यम से प्रदान किये जाते हैं। साथ ही हर वर्ष वित्त विभाग के साथ बजट चर्चा में सौंपे गये राजस्व को बढ़ाने की मांग रखी जाती है।

#### • वैट/ जीएसटी पर क्षतिपूर्ति का कम जारी किया जाना

वैट की शुरुआत के कारण मार्च 2006 से वाणिज्यिक कर पर लगने वाले 15 प्रतिशत उपकर को समाप्त करने के बाद एकत्रित मूल्य संवर्धित कर (वैट) से पाँच प्रतिशत की दर से क्षतिपूर्ति शहरी स्थानीय निकायों को जारी किया जाना है। नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय द्वारा किये गये बजट प्रावधान एवं वित्त विभाग द्वारा जारी राशि का विवरण नीचे तालिका 4.6 में दिया गया है:

<sup>19</sup> एक शहर या शहर में प्रवेश करने वाले विभिन्न सामानों पर लगाया जाने वाला शुल्क। मध्य प्रदेश सरकार ने यातायात की भीड़ या व्यापार और व्यवसाय में अवांछित देरी से बचने के लिए शहरी स्थानीय निकायों से चुंगी को वापस ले लिया।

तालिका 4.6: वैट/ जीएसटी पर क्षतिपूर्ति का अल्प विमोचन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वैट/ जीएसटी क्षतिपूर्ति <sup>20</sup>						कम जारी किया गया
	पिछले वर्षों का संग्रह (वैट)	पिछले वर्षों का जीएसटी संग्रह (जीएसटी = एसजीएसटी + आईजीएसटी)	वैट एवं जीएसटी का कुल संग्रह	वर्तमान वर्ष में मांग की जानी चाहिए	वास्तव में शहरी प्रशासन और विकास संचालनालय द्वारा मांग की गई	वास्तव में चालू वर्ष में जारी किया गया	
2015-16	17,112.4	0.0	17,112.4	855.6	824.0	751.8	103.8
2016-17	18,687.4	0.0	18,687.4	934.4	856.6	856.6	77.8
2017-18	21,428.9	0.0	21,428.9	1,071.5	1,014.8	1,014.8	56.6
2018-19	14,468.4	13,828.6	28,297.0	1,414.9	1,156.9	1,055.4	359.4
2019-20	9,761.3	19,640.7	29,402.0	1,470.1	914.8	602.0	868.1
<b>योग</b>	<b>81,458.4</b>	<b>33,469.3</b>	<b>1,14,927.7</b>	<b>5,746.4</b>	<b>4,767.1</b>	<b>4,280.6</b>	<b>1,465.8</b>

(स्रोत: वित्त लेखा एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा वैट/ जीएसटी की वास्तविक वसूली का आकलन किए बिना बजट तैयार किया गया है। इसके परिणामस्वरूप शहरी स्थानीय निकायों को ₹1,465.8 करोड़ की कम राशि जारी हुई।

शासन ने तथ्यों की जाँच के बाद उत्तर दिया (नवंबर 2021) कि वित्त विभाग को शेष राशि जारी करने के लिए कहा जाएगा। इसके अलावा, भविष्य में बजट तैयार करते समय इसे ध्यान में रखा जाएगा।

#### 4.1.2.1 केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान

चौदहवें वित्त आयोग ने विभाज्य पूल<sup>21</sup> खाते के प्रतिशत के रूप में शहरी स्थानीय निकायों को मूलभूत अनुदान और निष्पादन अनुदान की सिफारिश की।


चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर, राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों के बीच निष्पादन अनुदान के वितरण के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की:

- नगरपालिका को उस वर्ष, जिसके लिए नगरपालिका निष्पादन अनुदान का दावा करना चाहती हो, लेखापरीक्षित लेखा प्रस्तुत करना होगा, जो उस वर्ष से पिछले दो वर्ष के पहले का नहीं हो।
- नगरपालिका को पिछले वर्ष में अपने स्वयं के राजस्व में वृद्धि प्रदर्शित करनी होगी जिसे लेखापरीक्षित खातों में दर्शाया गया हो।
- नगरपालिका को प्राप्ति की अवधि के लिए हर साल बुनियादी शहरी सेवाओं के लिए सेवा स्तर के बेंचमार्क को तैयार और प्रकाशित करना होगा तथा इसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना होगा।

<sup>20</sup> जीएसटी क्षतिपूर्ति को वैट के अनुसार मानते हुए।

<sup>21</sup> राज्य के शुद्ध कर राजस्व को विभाज्य निधि के रूप में जाना जाता है। शुद्ध कर राजस्व केंद्रीय करों में राज्य सरकार की हिस्सेदारी, 10 प्रतिशत संग्रहण शुल्क एवं सौंपे जाने वाले राजस्व की कटौती के बाद निकाला जाता है।





(स्रोत: नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय से प्राप्त जानकारी)

हमने देखा कि 2018-19 में 378 में से 298 शहरी स्थानीय निकाय तथा 2019-20 में 378 में से 329 शहरी स्थानीय निकाय निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के लिए योग्य थे। तथापि, उक्त अवधि के लिए ₹602.55 करोड़<sup>22</sup> की राशि का निष्पादन अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था।

शासन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2021) कि नगर विकास एवं आवास विभाग ने ₹602.55 करोड़ की निष्पादन अनुदान राशि जारी करने के लिए केन्द्र सरकार से पत्र व्यवहार किया है, परन्तु उक्त अनुदान भारत सरकार द्वारा अभी तक जारी नहीं किया गया है।

#### 4.1.3 संपत्ति कर


शहरी स्थानीय निकायों को अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित सभी भवनों या खाली भूमि या दोनों पर हर साल संपत्ति कर लगाने का अधिकार दिया गया था। प्रत्येक मालिक को अपनी भूमि या भवन के वार्षिक किराये मूल्य का आकलन करना है और इस संबंध में विवरणी के साथ संपत्ति कर की राशि, निर्धारित प्रपत्र में, स्व-मूल्यांकन के आधार पर परिषद द्वारा निर्धारित तिथि पर या उससे पहले जमा करनी है।

##### • संपत्ति कर की कम वसूली

नमूना-जाँच में शामिल 33 शहरी स्थानीय निकायों में से 32<sup>23</sup> में हमने देखा कि 2015-20 की अवधि के लिए संपत्ति कर का औसत संग्रह कुल मांग का 60 प्रतिशत था और 2017-18 से यह गिरावट की प्रवृत्ति पर था (चार्ट 6)। इन चयनित शहरी स्थानीय निकायों की मार्च 2020 तक संचयी बकाया राशि ₹269.66 करोड़ थी। विवरण परिशिष्ट 7 में दिया गया है।

<sup>22</sup> ₹602.55 करोड़ (2018-19 के लिए ₹260.91 करोड़ और 2019-20 के लिए ₹341.64 करोड़)।

<sup>23</sup> नगर परिषद बडोनी (दतिया) द्वारा आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया गया।



(स्रोत: चयनित शहरी स्थानीय निकायों से प्राप्त सूचना)

शासन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2021) कि संपत्ति कर जानकारी के अन्तर्गत मांग एवं संग्रहण के अन्तर को कम करने के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। हाल के वर्षों में संपत्ति कर के संग्रह में वृद्धि हुई है और भविष्य में ऐसे प्रयास जारी रहेंगे।

### • सेवा शुल्क

नगरपालिका क्षेत्र के आस-पास स्थित राज्य और केंद्र सरकार की संपत्तियों को संपत्ति कर के भुगतान से छूट दी गई है और संपत्ति कर के बदले में जहां नगर निगमों/ परिषदों द्वारा कोई सेवा नहीं, आंशिक सेवाएं और सभी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, वहां इन सेवाओं के लिए क्रमशः संपत्ति कर के 33, 50, और 75 प्रतिशत की दर से सेवा शुल्क लगाया जाता है।

हमने शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सेवा कर के संग्रहण में निम्नलिखित कमियां देखीं :

- चार<sup>24</sup> चयनित नगर निगमों में से केवल तीन<sup>25</sup> ही सेवा शुल्क वसूल कर रहे थे। इनमें से दो यथा ग्वालियर और जबलपुर नगर निगमों ने चालू वर्ष (2019-20) से सेवा शुल्क की वसूली शुरू की है। 2015-20 की अवधि के दौरान भोपाल नगर निगम ने ₹118.34 करोड़ की मांग के विरुद्ध ₹26.59 करोड़ (22.47 प्रतिशत) का संग्रहण किया। मार्च 2020 तक ₹91.74 करोड़ की राशि बकाया थी। ग्वालियर एवं जबलपुर नगर निगम वर्ष 2019-20 के लिए ₹6.74 करोड़ की मांग के विरुद्ध मात्र ₹22.14 लाख अर्थात् मांग का 3.28 प्रतिशत ही वसूल कर सके।
- चयनित 12 नगरपालिका परिषदों में से, केवल दो राघोगढ़ और सिवनी ने सेवा शुल्क वसूल किया।
- चयनित 17 नगर परिषदों में से केवल सुल्तानपुर ने 2015-19 की अवधि के लिए ₹1.37 लाख की बकाया राशि के विरुद्ध ₹35,469 का सेवा शुल्क वसूल किया।


शासन ने उत्तर दिया (नवंबर 2021) कि इस संबंध में सभी शहरी स्थानीय निकायों को अक्टूबर 2015 में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन प्रशासनिक कारणों से अधिकांश शहरी स्थानीय निकाय सेवा शुल्क वसूल नहीं कर पाए।

<sup>24</sup> भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर और जबलपुर नगर निगम।

<sup>25</sup> भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर नगर निगम।

## • संपत्ति कर का पुनरीक्षण

संपत्ति कर वार्षिक किराया मूल्य के कम से कम छः प्रतिशत और दस प्रतिशत से अनधिक, की दर से लगाया जाता है, जिसे निगम द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित किया जा सकता है।



(स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

नमूना-जाँच में शामिल 33 शहरी स्थानीय निकायों (चार्ट 7) में से 10 में, अंतिम पुनरीक्षण 2010 से पूर्व का था; 14 में इसे 2010 एवं 2015 के बीच पुनरीक्षित किया गया; आठ में इसे 2015 और 2020 के बीच पुनरीक्षित किया गया, जबकि एक शहरी स्थानीय निकाय<sup>26</sup> ने जानकारी नहीं दी।

शासन ने उत्तर दिया (नवंबर 2021) कि अधिनियम में संशोधन (सितंबर 2020) किए गए हैं और नियमों में भी तदनुसार संशोधन (सितंबर 2020) किया गया है। संशोधन के अनुसार, भवन या भूमि के संपत्ति कर के मूल्य में न्यूनतम वृद्धि, पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में कलेक्टर के दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित भवन या भूमि के बाजार मूल्य में प्रतिशत वृद्धि के अनुसार होगी। इन्हें वर्ष 2021-22 से लागू किया गया है।

## • संपत्ति कर बढ़ाने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) सर्वेक्षण

तीसरे राज्य वित्त आयोग ने संपत्ति कर के आरोपण में जीआईएस सर्वेक्षण के उपयोग की सिफारिश की।

हमने देखा कि 123 शहरी स्थानीय निकायों (कुल शहरी स्थानीय निकायों का 30 प्रतिशत) में जीआईएस सर्वेक्षण (2013-20) किया गया था, जिसके कारण पिछले वर्षों के संग्रह से 26 प्रतिशत से 1612 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले वर्षों के संग्रह से अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों में संपत्ति कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। शेष शहरी स्थानीय निकायों में अभी जीआईएस सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है।


शासन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2021) कि शहरी स्थानीय निकायों के लिए जीआईएस सर्वेक्षण पाँच चरणों में किया जा रहा है। 152 शहरी स्थानीय निकायों में सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है और शेष शहरी स्थानीय निकायों में कार्य प्रगति पर है।

## • जल शुल्क का संग्रहण

33 शहरी स्थानीय निकायों में जल शुल्क की नमूना-जाँच से पता चला कि 2015-20 की अवधि के लिए औसत संग्रहण बिल की गई राशि का 23 प्रतिशत था और 2017-18 से यह संग्रहण

<sup>26</sup> नगरपालिका परिषद रायसेन ने आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया था।

गिरावट पर था (चार्ट 8)। 2016–20 की अवधि के दौरान, संग्रहण 29 से घटकर 15 प्रतिशत रह गया। इन चयनित शहरी स्थानीय निकायों में मार्च 2020 तक ₹375.40 करोड़ की राशि बकाया थी। विवरण परिशिष्ट 8 में दिया गया है।



(स्रोत: चयनित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

हमने यह भी पाया कि चयनित शहरी स्थानीय निकायों में से किसी ने भी जल संयोजन के साथ मीटर नहीं लगाए थे।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया (नवंबर 2021) और उत्तर दिया कि इस संबंध में नए नियम अर्थात् मध्य प्रदेश नगरपालिका (जल आपूर्ति, सीवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता शुल्क) नियम, 2020 प्रकाशित (सितंबर 2020) किए गए हैं।

चौदहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि शहरी स्थानीय निकायों को अपने सेवा शुल्कों को इस तरह से युक्तिसंगत बनाना चाहिए कि वे लाभार्थियों से कम से कम संचालन और अनुरक्षण की लागत वसूल कर सकें।

संग्रहित जल शुल्क शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जलापूर्ति के संचालन और अनुरक्षण पर किए गए व्यय के केवल 21 से 31 प्रतिशत खर्च को पूरा कर सका है (तालिका 4.7)।

**तालिका 4.7: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जल उपयोगकर्ता शुल्क की मांग और संग्रहण को दर्शाने वाला विवरण**

(₹ करोड़ में)


वर्ष	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
कुल मांग	164.7	186.2	298.6	294.8	439.4
मांग के विरुद्ध संग्रहण	43.0	54.4	81.2	78.6	64.0
कुल बकाया मांग	121.7	131.8	217.5	216.2	375.4
संचालन और अनुरक्षण पर व्यय	195.8	216.1	265.6	289.0	297.9
ओ एंड एम पर व्यय के विरुद्ध संग्रहण का प्रतिशत	22.0	25.2	30.6	27.2	21.5

(स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

शासन ने उत्तर दिया (नवंबर 2021) कि इस संबंध में नए नियम प्रकाशित कर दिए गए हैं (सितंबर 2020) और सभी शहरी स्थानीय निकायों में इन्हें लागू करने के निर्देश जारी किए जाएंगे।

## • जल शुल्क का पुनरीक्षण

हमने देखा कि शहरी स्थानीय निकाय जल शुल्कों में नियमित रूप से पुनरीक्षण नहीं कर रहे थे। नमूना-जाँच किए गए 33 शहरी स्थानीय निकायों में से, 31 ने अपने जल शुल्क का पुनरीक्षण किया था। इनमें से छः शहरी स्थानीय निकायों ने इसे 2010 से पहले पुनरीक्षित किया था, 11 ने 2010–15 के दौरान शुल्कों को पुनरीक्षित किया और 14 अन्य ने 2015–20 के दौरान पुनरीक्षित किया था (चार्ट 9)। जबकि एक शहरी स्थानीय निकाय<sup>27</sup> ने सूचना प्रदान नहीं की और नगर परिषद कुरावर में, जल आपूर्ति नेटवर्क निर्माणाधीन है क्योंकि यह नवगठित है।



(स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

शासन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2021) कि संचालन एवं अनुरक्षण पर व्यय के अनुपात में दरें निर्धारित करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं तथा इन्हें शीघ्र ही लागू कर दिया जायेगा।

### 4.1.4 टोस अपशिष्ट प्रबंधन

टोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा घरेलू अपशिष्ट एकत्र किया जाना चाहिए और शहरी स्थानीय निकायों को टोस अपशिष्ट प्रबंधन पर उपयोगकर्ता शुल्क तय और उगाही करने का अधिकार है।

## • टोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपयोगकर्ता शुल्क नहीं लगाना

33 शहरी स्थानीय निकायों में से 31<sup>28</sup> ने 2015–20 की अवधि के दौरान टोस अपशिष्ट प्रबंधन पर ₹297.35 करोड़ का व्यय किया था। इनमें से केवल दो नगर निगमों<sup>29</sup> ने 2016–20 के दौरान टोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में ₹4.00 करोड़ संग्रहित किए हैं। नगरपालिका परिषदों और नगर परिषदों ने कोई उपयोगकर्ता शुल्क नहीं लिया था। इसके अलावा, 2016–17 से पहले कोई संग्रह नहीं था।

शासन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2021) कि सेवाओं की लागत के आधार पर टोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपयोगकर्ता शुल्क के निर्धारण के लिए नियम अधिसूचित किए गए हैं, ताकि संचालन और अनुरक्षण की लागत की वसूली की जा सके।

<sup>27</sup> नगरपालिका परिषद रायसेन द्वारा आंकड़ा प्रदान नहीं किया गया।

<sup>28</sup> नगर निगम भोपाल और ग्वालियर द्वारा आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया गया।

<sup>29</sup> छिंदवाड़ा और जबलपुर।

#### 4.1.5 राजस्व के अन्य स्रोत

मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा 6 और मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 127 में राजस्व के अन्य स्रोतों के अन्वेषण की संकल्पना की गई है। हमने देखा कि 2015-20 के दौरान 31 शहरी स्थानीय निकायों ने अन्य स्रोतों से ₹47.51 करोड़ संग्रहित किए थे। अन्य स्रोतों पर हमारे निष्कर्षों का विवरण नीचे दिया गया है:-

- **बाह्य विज्ञापन पर कर लगाना**

चयनित 33 शहरी स्थानीय निकायों में से केवल चार<sup>30</sup> ने बाह्य विज्ञापन पर कर लगाया और 2015-20 के दौरान ₹9.3 करोड़ का संग्रह किया।

शासन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2021) कि शहरी स्थानीय निकायों में मध्य प्रदेश आउटडोर मीडिया विज्ञापन नियम, 2017 के अनुसार विज्ञापन दिये जा रहे हैं।

- **मोबाइल टावर पर कर लगाना**

इकतीस शहरी स्थानीय निकायों ने मोबाइल टावरों पर कर के रूप में ₹8.41 करोड़ एकत्र किए। 30 शहरी स्थानीय निकायों के आसपास स्थापित 1328 मोबाइल टावरों में से 241 मोबाइल टावर पाँच शहरी स्थानीय निकायों<sup>31</sup> के अधिकार क्षेत्र में स्थित थे, जो अनधिकृत पाए गए थे, लेकिन संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा इनके नियमितीकरण एवं जुर्माना लगाने के लिए कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई थी। इसके अलावा, 334 टावरों (22 शहरी स्थानीय निकायों) की लाइसेंस अवधि जून 2021 तक, एक से 148 महीने की अवधि के लिए समाप्त हो गई थी, लेकिन इनके नवीनीकरण हेतु संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी जैसा कि परिशिष्ट 9 में वर्णित है।

- **दुकान किराया**

नमूना में शामिल 33 शहरी स्थानीय निकायों में से 30<sup>32</sup> में राशि ₹8.9 करोड़ दुकान किराये के रूप में बकाया था जिसे 2015-20 की अवधि के लिए वसूल किया जाना था (तालिका 4.8)। 2017-18 से दुकान के किराए का बकाया बढ़ गया है। इनमें से, छः शहरी स्थानीय निकाय<sup>33</sup> मुख्य बकायेदार हैं जिनका बकाया 60 प्रतिशत से अधिक है।

तालिका 4.8: बकाया दुकान किराए का विवरण

	(₹ करोड़ में)				
वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल मांग	9.5	9.0	11.1	12.4	14.3
कुल संग्रहण	5.9	5.8	7.0	5.7	5.4
वर्ष के अंत में बकाया राशि	3.6	3.2	4.1	6.7	8.9

(स्रोत: चयनित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

शासन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2021) कि कर्मचारियों की कमी के कारण वसूली नियमित नहीं है। लेकिन दुकानों का किराया नियमानुसार वसूल करने की कार्रवाई की जाएगी।

<sup>30</sup> भेड़ाघाट, ग्वालियर, जबलपुर और सिवनी।

<sup>31</sup> अनधिकृत मोबाइल टावर भोपाल में-169, छिंदवाड़ा-4, ग्वालियर-58, बडोनी-7 और मौ-3।

<sup>32</sup> भोपाल एवं ग्वालियर ने सूचना उपलब्ध नहीं कराई थी जबकि कुरावर ने वर्ष 2018-19 में मात्र 27 प्रतिशत दुकान किराया वसूल किया था तथा शेष वर्षों के लिए कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

<sup>33</sup> बडोनी (76 प्रतिशत), जबलपुर (60 प्रतिशत), मंडीदीप (67 प्रतिशत), मानपुर (60 प्रतिशत), लौंडी (72 प्रतिशत) और सुल्तानपुर (86 प्रतिशत)।

## 4.2 सेवाओं पर व्यय

मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की भावना के अनुरूप नहीं है, क्योंकि नगरपालिका और नगर परिषदों के मामले में बजट राज्य सरकार को भेजा जाना होता है, जो कि शहरी स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार के नियंत्रण को दर्शाता है।

बजट अनुमानों तथा वास्तविक आय और व्यय के बीच बड़ा अंतर था। 2015–20 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों की औसतन वास्तविक आय अनुमान से 44 प्रतिशत अधिक थी। विवरण तालिका 4.9 में दिया गया है।

तालिका 4.9: अवास्तविक बजट तैयार करने के संबंध में विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व				व्यय			
	अनुमानित	वास्तविक	अंतर	अंतर का प्रतिशत	अनुमानित	वास्तविक	अंतर	अंतर का प्रतिशत
2015–16	5,267.2	2,039.1	3,228.1	38.7	5,383.4	2,021.6	3,361.8	37.6
2016–17	5,280.8	2,621.8	2,659.0	49.6	5,371.8	2,312.9	3,058.9	43.1
2017–18	5,861.4	2,871.7	2,989.7	49.0	5,890.9	2,423.3	3,469.3	41.1
2018–19	7,451.0	3,262.4	4,188.7	43.8	7,314.6	3,678.6	3,655.1	50.3
2019–20	8,698.3	3,247.4	5,450.8	37.3	8,587.1	3,412.4	5,177.9	39.7

(स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

20 शहरी स्थानीय निकायों में, बजट को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के बाद चार से 707 दिनों की देरी के साथ परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था। तीन शहरी स्थानीय निकायों ने बजट की स्वीकृति की तारीखें उपलब्ध नहीं कराई, जिसका विवरण परिशिष्ट 10 में वर्णित है।

शासन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2021) कि संबंधितों को आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे ताकि बजट वास्तविक आधार पर एवं समय पर प्रस्तुत किया जा सके।

## 4.3 सौंपे गये कार्यों की प्रभावकारिता

सेवा वितरण में जवाबदेही शुरू करने के लिए बेंचमार्किंग एक महत्वपूर्ण तंत्र है। इसके महत्व को स्वीकार करते हुए, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने बुनियादी सेवाओं के निष्पादन प्रबंधन के लिए 2008 से सेवा स्तर के बेंचमार्क निर्धारित किए हैं। शहरी विकास मंत्रालय ने चार बुनियादी नगरपालिका सेवाओं नामतः जल आपूर्ति, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और वर्षा जल निकासी के संबंध में निष्पादन निगरानी के लिए मानकीकृत ढांचे को निर्धारित करते हुए सेवा स्तर बेंचमार्क हैंडबुक भी जारी की थी। सेवा स्तर बेंचमार्क संकेतकों में जल आपूर्ति कनेक्शन का कवरेज, पानी की गुणवत्ता, पानी की आपूर्ति में लागत वसूली, शौचालयों का कवरेज, सीवेज नेटवर्क सेवा का कवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का घरेलू कवरेज, नगरपालिका ठोस कचरे का पृथक्करण और निपटान और वर्षा जल निकासी नेटवर्क का कवरेज शामिल है।

पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुपालन में, मध्य प्रदेश सरकार, शहरी विकास और आवास विभाग ने सेवा वितरण प्रणाली में सुधार के लिए बेंचमार्क तय (दिसंबर 2020) किया था।

सेवा स्तर बेंचमार्किंग पर शहरी विकास मंत्रालय द्वारा विकसित हैंडबुक, यह भी चाहती है:

- पानी और स्वच्छता क्षेत्र के लिए मानक निष्पादन मानकों के एक न्यूनतम सेट की पहचान करें जो देश भर में सभी हितधारकों द्वारा सामान्य रूप से समझे और उपयोग किए जाते हैं;
- इन संकेतकों पर निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए एक सामान्य न्यूनतम ढांचे को परिभाषित करें; तथा

(iii) इस ढांचे को चरणबद्ध तरीके से कैसे संचालित किया जाए, इस पर दिशा-निर्देश निर्धारित करें।

शहरी स्थानीय निकायों को समय-समय पर सेवा स्तर के बेंचमार्क पर निष्पादन प्रतिवेदन तैयार करनी होती है और निष्पादन प्रबंधन के लिए तंत्र को संस्थागत बनाना होता है।

चार शीर्षों (जल आपूर्ति, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और वर्षा जल निकासी) के तहत 28 मापदंडों में से, हमने 33 नमूना शहरी स्थानीय निकायों में जल आपूर्ति, सीवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तीन शीर्षों के तहत 10 मापदंडों का विश्लेषण किया। इन मापदंडों के लिए निर्धारित सेवा स्तर बेंचमार्क अन्य विवरणों के साथ **परिशिष्ट 11** में दर्शाए गए हैं।

#### • जलापूर्ति:

33 शहरी स्थानीय निकायों में से 32 को 100 प्रतिशत जल कनेक्शन प्राप्त करने के लक्ष्य को पूरा करना बाकी था। केवल नगर परिषद जावद ने शत-प्रतिशत परिवारों को कनेक्शन दिया था। हालाँकि, 22 शहरी स्थानीय निकायों ने कम से कम 70 प्रतिशत परिवारों को कनेक्शन प्रदान किया था। इसके अलावा, 26 शहरी स्थानीय निकाय अभी भी 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन पानी उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं थे, जबकि 24 घंटे निरंतर जल आपूर्ति प्राप्त करने का लक्ष्य भी बहुत दूर है। 21 शहरी स्थानीय निकाय 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन से भी कम आपूर्ति कर रहे थे, जिसमें नगर परिषद सतई में न्यूनतम आपूर्ति 50 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन थी। लगातार जलापूर्ति के संबंध में 24 शहरी स्थानीय निकाय अधिकतम एक घंटे के लिए पानी उपलब्ध कराने में सक्षम थे, जिसमें नगर परिषद हाटपिपल्या द्वारा न्यूनतम 16 मिनट के रूप में सूचित किया गया था।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया (नवम्बर 2021) कि जलापूर्ति के मामले में 100 प्रतिशत मीटरिंग एवं 24 घंटे आपूर्ति का लक्ष्य अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में लक्ष्य हासिल करने के लिए काम किया जा रहा है।

#### • सीवरेज:

2019-20 की अवधि में शौचालयों का कवरेज काफी बढ़ गया है, जिसमें 16 शहरी स्थानीय निकायों ने 100 प्रतिशत कवरेज का संकेत दिया है। हालाँकि, सीवेज नेटवर्क का कवरेज बहुत कम है, जिसमें 26 शहरी स्थानीय निकायों ने शून्य कवरेज का संकेत दिया है। इसी प्रकार, 26 शहरी स्थानीय निकायों ने सीवरेज उपचार में शून्य क्षमता का संकेत दिया।

शासन ने उत्तर दिया (नवंबर 2021) कि 49 शहरों में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसी परियोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला या तो पूरी हो चुकी है या प्रगति पर है। विभाग फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट की अवधारणा को भी आगे बढ़ा रहा है।

#### • ठोस अपशिष्ट प्रबंधन:

घरेलू स्तर के कवरेज में काफी सुधार हुआ है, जिसमें 16 शहरी स्थानीय निकायों ने 100 प्रतिशत कवरेज का संकेत दिया है। इसी तरह, नौ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा संग्रहण क्षमता को भी 100 प्रतिशत बताया गया। केवल छः शहरी स्थानीय निकायों ने ठोस कचरे को अलग नहीं किया और केवल दो ने 100 प्रतिशत पृथक्करण की सूचना दी। 11 शहरी स्थानीय निकायों ने 50 प्रतिशत तक पृथक्करण की सूचना दी।

इस संबंध में शासन की ओर से कोई विशिष्ट जवाब नहीं दिया गया।



**अनुशंसाएं:**

1. शहरी स्थानीय निकायों को निधियों का हस्तांतरण, जैसा की राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित हैं, समयबद्ध तरीके से किया जा सकता है ताकि शहरी स्थानीय निकायों के पास अपनी विकासात्मक गतिविधियों को चलाने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन हों।
2. शहरी स्थानीय निकायों को देय राजस्व की वसूली की निगरानी को सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि प्राप्य राशि की पूरी और समय पर वसूली हो सके।
3. सीवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत सेवा वितरण प्रणाली में सुधार के लिए सेवा स्तर के बेंचमार्क का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।



# अध्याय V

## निष्कर्ष



## अध्याय V

### निष्कर्ष

74वें संशोधन ने संविधान के भाग IXA (नगरपालिकाओं), जिसमें अनुच्छेद 243P से 243ZG हैं, को प्रस्तुत किया। यह संशोधन 1 जून 1993 को प्रभाव में आया और इसने स्थानीय निकायों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य विधानमंडलों को कानून बनाने के लिए अधिकृत किया और शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के लिए प्रावधान किया (अनुच्छेद 243W)। 12वीं अनुसूची शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए जाने वाले 18 कार्यों को सूचीबद्ध करती है।

प्रत्येक राज्य को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू करने के लिए एक कानून बनाना था। राज्य में शहरी स्थानीय निकाय मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956 और मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 द्वारा शासित थे। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद राज्य सरकार ने 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के लिए कुछ नियम बनाए थे। हालाँकि, इन नियमों को दृढ़ कार्रवाई द्वारा समर्थित नहीं किया गया था, इस प्रकार, ये संविधान संशोधन की भावना को विशेष रूप से कार्यों के हस्तांतरण और उपयुक्त संस्थागत तंत्र के निर्माण के संदर्भ में पराजित करते हैं।

18 कार्यों में से, शहरी स्थानीय निकाय चार कार्यों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार थे, एक कार्य में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, 10 कार्यों में अतिव्यापी भूमिकाएं थीं, और तीन कार्यों में केवल कार्यान्वयन संस्था के रूप में कार्य किया गया।

मानव संसाधन के मामले में, अधिकांश शहरी स्थानीय निकाय कर्मचारियों की अत्यधिक कमी के साथ कार्य कर रहे थे और बाहरी स्रोत से लाये गये कर्मचारियों पर अत्यधिक निर्भर थे।

वार्डों के परिसीमन, परिषद के लिए सीटों का आरक्षण और महापौर/ अध्यक्ष, उप-महापौर/ उपाध्यक्ष और वार्डों के पदों के लिए सीटों की नियमित आवर्तन नीति की शक्ति राज्य सरकार में निहित थी।

यह भी देखा गया कि कई शहरी स्थानीय निकायों में, लंबे समय से चुनाव नहीं हुए थे और इसलिए, निर्वाचित स्थानीय सरकार की अभाव में, इन शहरी स्थानीय निकायों के विकास में बाधा आ सकती है। इसके अलावा, शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने के लिए 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अधिदेश का भी उल्लंघन हो रहा था।

कुछ शहरी स्थानीय निकायों के मामले में सलाहकार समिति, वार्ड और मोहल्ला समितियाँ, नगर लेखा समिति और महानगर योजना समिति गठित नहीं पाई गईं। यद्यपि जिला योजना समितियों का गठन किया गया था, फिर भी समितियों की बैठकें नियमित रूप से नहीं हो रहीं थीं।

संविधान के प्रावधानों और अधिनियमों के अनुसार, छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन 2019-20 से लंबित था। हालाँकि, आज की तारीख में, तीसरे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया जा रहा था।

राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को निधियों का हस्तांतरण तीसरे राज्य वित्त आयोग के मानदंडों की तुलना में ₹312.6 करोड़ तक कम था।

नमूना-जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों में 2015-20 की अवधि के लिए शहरी स्थानीय निकायों के कुल राजस्व में स्वयं के राजस्व का हिस्सा बहुत कम था (नगर परिषद 6.3 प्रतिशत, नगरपालिका परिषद 13.9 प्रतिशत और नगर निगम 36.5 प्रतिशत)।

इससे पता चलता है कि शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति अत्यधिक गंभीर थी और वे पूरी तरह से सरकारी अनुदान पर निर्भर थे। संपत्ति कर, सेवा शुल्क और जल शुल्क के संबंध में विभिन्न करों/ प्रभारों की कम वसूली के उदाहरण भी देखे गए।

शहरी स्थानीय निकायों को स्वच्छता के कवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के घरेलू स्तर के कवरेज को प्राप्त करने के मामले में आम तौर पर प्रभावी पाया गया। लेकिन जहां तक अन्य मानकों का सवाल है, वहां बहुत अधिक कमियां थीं।

सेवा स्तर बेंचमार्क के संकेतक, जब इस तथ्य के संयोजन के साथ देखे जाते हैं कि शहरी स्थानीय निकाय उचित रूप से अपेक्षित शुल्क एकत्र करने में सक्षम नहीं हैं और सेवाओं की लागत वसूल करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं, उनकी गंभीर वित्तीय स्थिति को दर्शाता है जो सेवाओं के कार्यान्वयन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है।

भोपाल  
दिनांक: 01 जून 2022

बि. क. मु.

(बिजित कुमार मुखर्जी)  
महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय)  
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक: 20 जून 2022



(गिरीश चंद्र मुर्मू)  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट






परिशिष्ट-1

(संदर्भ: कडिका 1.4)

शहरी स्थानीय निकाय का संगठनात्मक चार्ट



<sup>1</sup> भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम, रीवा, सागर, शहडोल और उज्जैन।

**परिशिष्ट-2**

(संदर्भ: कडिका 1.4)

**पैरास्टेटल और उनके कार्यों की सूची**

क्र. सं.	पैरास्टेटल	कार्य
1.	नगर एवं ग्राम निवेश	इसका गठन 1956 में नगरों को संगठित और नियोजित ढंग से स्थापित करने, विकास योजनाएँ तैयार करने; और शहर की जनसंख्या के संदर्भ में नियमित अंतराल पर ऐसी विकास योजनाओं की समीक्षा करने एवं राज्य विकास योजना के लिए योजना तैयार करने हेतु किया गया है।
2.	राजधानी परियोजना प्रशासन	राज्यों के पुनर्गठन के बाद 1956 में मध्य प्रदेश की नवगठित राजधानी भोपाल के नियोजित और तीव्र विकास के लिए इसका गठन किया गया था। राजधानी परियोजना प्रशासन, विभिन्न बुनियादी सुविधाओं, बुनियादी सुविधाओं का विकास करता है, विभिन्न कार्यों के लिए समन्वयक के रूप में कार्य करता है और उद्यानों के सौंदर्यीकरण और विकास, वृक्षारोपण, आदि के लिए कार्य करता है।
3.	राज्य नगर नियोजन संस्थान	इसका गठन ग्राम और नगर निवेश अधिनियम, 1973 के तहत किया गया था। 10 विकास प्राधिकरण – भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, देवास, कटनी, सिंगरौली और अमरकंटक; छह विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण—पंचमढी, ग्वालियर काउंटर मैग्नेट, खजुराहो, ओरछा, महेश्वर, मंडलेश्वर और चित्रकूट; और तीन स्थानीय शहरी निकाय—खजुराहो, धनपुरी और ग्रहकोटा संस्थान के सहयोगी सदस्य हैं। संस्थानों के प्राथमिक उद्देश्य हैं: शहरी/ ग्रामीण नियोजन के विषय मामलों पर नगर और ग्राम निवेश विभाग को सहायता और परामर्श प्रदान करना।
4.	मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल	इसका गठन 1972 में मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 के तहत एक कॉर्पोरेट निकाय के रूप में किया गया था। इसकी स्थापना भूमि के विकास और विभिन्न वर्गों के लिए आवास निर्माण के माध्यम से आवास की समस्याओं को हल करने के लिए की गई थी।
5.	मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम	इसका गठन 1988 में मध्य प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 के तहत सरकार द्वारा स्थापित सहकारी समितियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों की आवास समस्याओं को हल करने के लिए किया गया था।
6.	मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग	लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश सरकार की प्रमुख संस्था है जिसके द्वारा सड़कों, पुलों, रेलवे ओवर ब्रिज, फ्लाई ओवर और भवनों जैसी सरकारी

क्र. सं.	पैरास्टेटल	कार्य
		संपत्तियों की योजना, डिजाइन, निर्माण और रखरखाव का कार्य एवं नगर की आंतरिक सड़कें जो नगर निगम को नहीं सौंपी गई हैं, उनका रखरखाव किया जा रहा है।
7.	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के प्रावधान के अनुसार मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पूरे राज्य की जल संवर्धन विकास योजनाओं की गतिविधियों को तैयार करने, रूपरेखा बनाने और समन्वय करने के लिए भी जिम्मेदार है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं को संचालित करने के लिए भी जिम्मेदार है।
8.	जिला शहरी विकास प्राधिकरण	जिला स्तर पर, जिला शहरी विकास प्राधिकरण, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित विभिन्न आजीविका योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ-साथ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए एक जिला स्तर की नोडल संस्था के रूप में कार्य करता है।
9.	मध्य प्रदेश शहरी विकास कंपनी	इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था और यह व्यापक विकास योजना तैयार करने और बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के निष्पादन के लिए जिम्मेदार है।
10.	स्मार्ट सिटी कंपनियां	भारत सरकार ने 25 जून 2015 को उन शहरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "100 स्मार्ट सिटीज मिशन" की शुरुआत की जो मुख्य बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगे और अपने नागरिकों को जीवन की एक अच्छी गुणवत्ता, 'स्मार्ट' समाधानों के प्रयोग के साथ एक स्वच्छ और सतत् वातावरण प्रदान करेंगे। मध्यप्रदेश में सात शहरों अर्थात् इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और सतना का चयन किया गया। स्मार्ट सिटी अभियान के दिशा-निर्देशों के तहत किये गये कार्यों में सड़कों का निर्माण, मकानों का निर्माण, पार्क, विरासत स्थलों का नवीनीकरण, आदि का विकास और रखरखाव सम्मिलित हैं।
11.	मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि विकसित करने और उद्योगों को एकल खिड़की के रूप में बुनियादी ढांचा एवं सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।

परिशिष्ट-3

(संदर्भ: कडिका 1.7)

चयनित शहरी स्थानीय निकायों की सूची

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	जिला	वर्ग
1	ग्वालियर	ग्वालियर	नगर निगम
2	जबलपुर	जबलपुर	नगर निगम
3	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	नगर निगम
4	भोपाल	भोपाल	नगर निगम
5	बालाघाट	बालाघाट	नगरपालिका परिषद
6	छतरपुर	छतरपुर	नगरपालिका परिषद
7	सिवनी	सिवनी	नगरपालिका परिषद
8	अनूपपुर	अनूपपुर	नगरपालिका परिषद
9	राजगढ़	राजगढ़	नगरपालिका परिषद
10	चंदेरी	अशोकनगर	नगरपालिका परिषद
11	डोंगर परासिया	छिंदवाड़ा	नगरपालिका परिषद
12	नेपानगर	बुरहानपुर	नगरपालिका परिषद
13	राघोगढ़	गुना	नगरपालिका परिषद
14	मंडीदीप	रायसेन	नगरपालिका परिषद
15	रायसेन	रायसेन	नगरपालिका परिषद
16	सैंधवा	बड़वानी	नगरपालिका परिषद
17	बिछिया	मंडला	नगर परिषद
18	मौ	भिंड	नगर परिषद
19	कुरावर	राजगढ़	नगर परिषद
20	जावद	नीमच	नगर परिषद
21	हाटपिपल्या	देवास	नगर परिषद
22	लौंडी	छतरपुर	नगर परिषद
23	ओंकारेश्वर	खंडवा	नगर परिषद
24	भैंसदेही	बैतूल	नगर परिषद
25	भेड़ाघाट	जबलपुर	नगर परिषद
26	इछावर	सीहोर	नगर परिषद
27	मानपुर	इंदौर	नगर परिषद
28	चुरहट	सीधी	नगर परिषद
29	खातेगांव	देवास	नगर परिषद

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	जिला	वर्ग
30	मंडलेश्वर	खरगोन	नगर परिषद
31	सतई	छतरपुर	नगर परिषद
32	सुल्तानपुर	रायसेन	नगर परिषद
33	बडोनी	दतिया	नगर परिषद

**परिशिष्ट-4**  
(संदर्भ: कंडिका 3.3.2)  
निगम/ परिषद की बैठकें

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	निगम/ परिषद की अवधि	परिषद की अवधि के दौरान होने वाली द्वि-मासिक बैठकों की संख्या	परिषद की अवधि के दौरान आयोजित द्विमासिक बैठकों की कुल संख्या	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें द्विमासिक बैठकों के संचालन में देरी हुई	दो माह से अधिक की देरी से हुई बैठकों का विवरण		
						पहली बैठक की तिथि	अगली बैठक की तिथि	विलंब (दिनों में)
1	नगर निगम, भोपाल	20/02/2015 से 19/02/2019	24	33	6	23/03/2017	27/05/2017	5
						28/03/2018	04/06/2018	8
						01/08/2018	06/10/2018	6
						06/10/2018	28/12/2018	23
						28/02/2019	19/06/2019	51
						29/11/2019	01/02/2020	4
2	नगर निगम, छिंदवाड़ा	18/02/2015 से 17/02/2020	30	18	12	21/05/2015	14/08/2015	25
						14/08/2015	29/12/2015	77
						11/01/2016	18/03/2016	7
						18/03/2016	17/06/2016	31
						04/08/2016	10/10/2016	7
						10/10/2016	16/12/2016	7
						20/03/2017	16/06/2017	28
						16/06/2017	26/08/2017	11
						26/08/2017	07/02/2018	105
						07/02/2018	25/08/2018	139
						25/08/2018	23/02/2019	122
23/02/2019	28/08/2019	126						
3	नगर निगम, ग्वालियर	10/01/2015 से 05/06/2019	26	74	1	06/10/2018	28/12/2018	23

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	निगम/परिषद की अवधि	परिषद की अवधि के दौरान होने वाली द्वि-मासिक बैठकों की संख्या	परिषद की अवधि के दौरान आयोजित द्विमासिक बैठकों की कुल संख्या	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें द्विमासिक बैठकों के संचालन में देरी हुई	दो माह से अधिक की देरी से हुई बैठकों का विवरण		
						पहली बैठक की तिथि	अगली बैठक की तिथि	विलंब (दिनों में)
4	नगर निगम जबलपुर	19/02/2015 से 19/02/2020	30	35	11	10/06/2015	16/10/2015	68
						16/10/2015	05/01/2016	21
						21/03/2016	21/06/2016	32
						06/08/2016	28/11/2016	54
						07/04/2017	19/06/2017	13
						16/10/2017	29/12/2017	14
						29/12/2017	15/03/2018	16
						10/05/2018	08/08/2018	30
						03/10/2018	02/02/2019	62
						27/02/2019	08/07/2019	71
5	नगर-पालिका परिषद, अनूपपुर	17/10/2013 से 17/10/2018	30	31	2	06/06/2017	27/03/2018	234
						27/04/2018	01/10/2018	97
6	नगर-पालिका परिषद, बालाघाट	12/01/2015 से 11/01/2020	30	59	4	30/12/2015	10/03/2016	11
						14/07/2017	22/09/2017	10
						04/10/2018	20/12/2018	17
						20/02/2019	30/05/2019	39
7	नगर-पालिका परिषद, चंदेरी	11/01/2015 से 05/01/2020	30	36	7	10/04/2015	20/07/2015	41
						01/09/2015	28/11/2015	28
						15/07/2016	21/02/2017	161
						21/02/2017	16/05/2017	24
						27/05/2017	27/11/2017	124
						18/01/2018	19/04/2018	31
						17/02/2019	07/06/2019	50

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	निगम/परिषद की अवधि	परिषद की अवधि के दौरान होने वाली द्वि-मासिक बैठकों की संख्या	परिषद की अवधि के दौरान आयोजित द्विमासिक बैठकों की कुल संख्या	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें द्विमासिक बैठकों के संचालन में देरी हुई	दो माह से अधिक की देरी से हुई बैठकों का विवरण		
						पहली बैठक की तिथि	अगली बैठक की तिथि	विलंब (दिनों में)
8	नगर-पालिका परिषद, छतरपुर	10/01/2015 से 09/01/2020	30	34	2	24/03/2015	16/06/2015	24
						21/04/2016	04/08/2016	45
9	नगर-पालिका परिषद, डोंगर-परासिया	13/01/2015 से 08/03/2019	25	24	9	30/06/2015	22/09/2015	24
						22/09/2015	05/02/2016	76
						31/03/2016	08/06/2016	9
						27/06/2016	08/09/2016	13
						08/09/2016	02/12/2016	25
						02/12/2016	21/02/2017	21
						11/05/2017	12/10/2017	94
						20/04/2018	17/07/2018	28
11/09/2018	07/01/2019	58						
10	नगर-पालिका परिषद, नेपानगर	06/08/2012 से 12/08/2017	30	13	5	21/05/2015	04/09/2015	46
						04/09/2015	15/12/2015	42
						15/12/2015	13/04/2016	60
						13/04/2016	27/08/2016	76
		08/09/2017 से निरंतर	15	4	26/09/2016	22/02/2017	89	
					30/10/2017	31/03/2018	92	
					31/03/2018	16/01/2019	231	
					16/01/2019	02/08/2019	138	
11	नगर-पालिका	2015/16 से 16/02/2018 और	30	20	14	08/03/2015	16/10/2015	14
						16/10/2015	01/02/2016	48
						01/02/2016	11/04/2016	10



क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	निगम/परिषद की अवधि	परिषद की अवधि के दौरान होने वाली द्वि-मासिक बैठकों की संख्या	परिषद की अवधि के दौरान आयोजित द्विमासिक बैठकों की कुल संख्या	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें द्विमासिक बैठकों के संचालन में देरी हुई	दो माह से अधिक की देरी से हुई बैठकों का विवरण		
						पहली बैठक की तिथि	अगली बैठक की तिथि	विलंब (दिनों में)
	परिषद, राघोगढ़	16/02/2018 से अब तक				11/04/2016	05/07/2016	25
						03/09/2016	02/12/2016	30
						02/12/2016	15/03/2017	43
						15/03/2017	12/06/2017	29
						12/06/2017	20/10/2017	70
						20/10/2017	22/12/2017	3
						22/12/2017	11/06/2018	111
						11/06/2018	19/09/2018	40
						19/09/2018	23/01/2019	66
						08/03/2019	14/08/2019	99
						07/09/2019	03/03/2020	118
12	नगर-पालिका परिषद, रायसेन	07/01/2015 से 06/01/2020	30	23	11	18/03/2015	27/05/2015	10
						21/07/2015	01/10/2015	12
						01/06/2016	09/08/2016	9
						09/08/2016	07/11/2016	30
						07/11/2016	11/01/2017	5
						11/01/2017	21/03/2017	9
						21/03/2017	11/07/2017	52
						11/07/2017	13/10/2017	34
						28/09/2018	28/12/2018	31
						02/03/2019	30/05/2019	29
						30/05/2019	24/09/2019	57
13	नगर-पालिका	13/01/2015 से	30	30	11	24/03/2015	06/08/2015	75
						06/08/2015	10/10/2015	5

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	निगम/परिषद की अवधि	परिषद की अवधि के दौरान होने वाली द्वि-मासिक बैठकों की संख्या	परिषद की अवधि के दौरान आयोजित द्विमासिक बैठकों की कुल संख्या	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें द्विमासिक बैठकों के संचालन में देरी हुई	दो माह से अधिक की देरी से हुई बैठकों का विवरण		
						पहली बैठक की तिथि	अगली बैठक की तिथि	विलंब (दिनों में)
	परिषद, राजगढ़	08/01/2020				10/10/2015	18/12/2015	9
						26/05/2016	26/08/2016	32
						22/10/2016	18/01/2017	28
						21/03/2017	10/06/2017	21
						23/06/2017	16/10/2017	55
						16/10/2017	01/03/2018	76
						01/03/2018	23/06/2018	54
						27/04/2019	19/07/2019	23
						19/07/2019	29/11/2019	73
14	नगर-पालिका परिषद, सेंधवा	09/08/2012 से 17/08/2017	30	7	2	10/02/2015	11/01/2016	275
						11/01/2016	20/03/2017	374
		16/02/2018 से निरंतर			1	20/03/2017	16/04/2018	332
15	नगर-पालिका परिषद, सिवनी	16/01/2015 से 16/01/2020	30	32	8	22/01/2016	05/04/2016	14
						23/01/2017	28/03/2017	4
						28/03/2017	07/07/2017	41
						29/11/2017	16/03/2018	47
						03/10/2018	18/12/2018	16
						18/12/2018	31/05/2019	104
						31/05/2019	08/08/2019	9
						11/10/2019	18/12/2019	8

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	निगम/परिषद की अवधि	परिषद की अवधि के दौरान होने वाली द्वि-मासिक बैठकों की संख्या	परिषद की अवधि के दौरान आयोजित द्विमासिक बैठकों की कुल संख्या	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें द्विमासिक बैठकों के संचालन में देरी हुई	दो माह से अधिक की देरी से हुई बैठकों का विवरण		
						पहली बैठक की तिथि	अगली बैठक की तिथि	विलंब (दिनों में)
16	नगर-पालिका परिषद, मंडीदीप	10/04/2015 से 17/03/2020	30	27	14	12/08/2015	11/01/2016	92
						11/01/2016	29/03/2016	18
						20/05/2016	31/08/2016	43
						31/08/2016	05/11/2016	6
						06/01/2017	27/03/2017	20
						28/03/2017	24/07/2017	58
						14/09/2017	25/11/2017	12
						12/01/2018	13/03/2018	1
						10/05/2018	06/08/2018	28
						28/09/2018	21/12/2018	24
						21/12/2018	22/02/2019	3
						22/02/2019	06/07/2019	74
						06/07/2019	21/10/2019	47
21/10/2019	17/03/2020	88						
17	नगर परिषद, बडोनी	15/2016 से 19/2020	30	24	12	15/04/2015	02/09/2015	80
						13/10/2015	19/02/2016	69
						19/02/2016	20/05/2016	31
						08/06/2016	30/08/2016	23
						15/09/2016	04/01/2017	51
						09/03/2017	18/05/2017	10
						30/05/2017	01/10/2017	64
						11/10/2017	17/01/2018	38
						23/03/2018	28/06/2018	37
						28/06/2018	27/09/2018	31
						27/09/2018	04/10/2019	312
04/10/2019	24/01/2020	52						

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	निगम/परिषद की अवधि	परिषद की अवधि के दौरान होने वाली द्वि-मासिक बैठकों की संख्या	परिषद की अवधि के दौरान आयोजित द्विमासिक बैठकों की कुल संख्या	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें द्विमासिक बैठकों के संचालन में देरी हुई	दो माह से अधिक की देरी से हुई बैठकों का विवरण		
						पहली बैठक की तिथि	अगली बैठक की तिथि	विलंब (दिनों में)
18	नगर परिषद, भैंसदेही	15/01/2014 से 30/01/2018	24	29	4	15/07/2015	24/11/2015	72
						13/04/2016	01/07/2016	19
						03/01/2017	27/03/2017	23
						07/06/2017	19/09/2017	44
19	नगर परिषद, भेड़ाघाट	03/02/2016 से 02/02/2021	30	29	12	23/02/2016	26/05/2016	33
						26/05/2016	02/08/2016	8
						09/09/2016	26/12/2016	48
						26/12/2016	05/05/2017	70
						05/05/2017	07/08/2017	34
						23/11/2017	16/05/2018	114
						01/06/2018	23/08/2018	23
						08/10/2018	29/12/2018	22
						27/02/2019	12/06/2019	45
						29/09/2019	30/03/2020	123
						30/03/2020	04/07/2020	36
04/07/2020	05/11/2020	64						
20	नगर परिषद, बिछिया	03/08/2012 से 02/08/2017	30	9	3	19/03/2015	24/07/2015	67
						24/07/2015	18/07/2016	300
						14/09/2016	01/03/2017	108
		03/08/2017 से 02/08/2022	30	2	1	09/05/2017	30/12/2019	905
21	नगर परिषद, चुरहट	04/07/2013 से 25/06/2018	30	18	10	05/05/2015	21/07/2015	17
						21/07/2015	14/10/2015	25
						05/12/2015	03/03/2016	29
						29/04/2016	05/07/2016	7

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	निगम/परिषद की अवधि	परिषद की अवधि के दौरान होने वाली द्वि-मासिक बैठकों की संख्या	परिषद की अवधि के दौरान आयोजित द्विमासिक बैठकों की कुल संख्या	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें द्विमासिक बैठकों के संचालन में देरी हुई	दो माह से अधिक की देरी से हुई बैठकों का विवरण		
						पहली बैठक की तिथि	अगली बैठक की तिथि	विलंब (दिनों में)
						05/07/2016	23/11/2016	81
						23/11/2016	31/01/2017	9
						28/03/2017	10/08/2017	75
						24/08/2017	24/11/2017	32
						03/01/2018	20/03/2018	16
						20/03/2018	22/05/2018	3
22	नगर परिषद, हाट-पिपल्या	09/01/2015 से 08/01/2020	30	20	11	26/03/2015	08/06/2015	14
						30/06/2015	27/09/2015	29
						30/10/2015	09/03/2016	71
						29/06/2016	06/10/2016	39
						06/10/2016	09/03/2017	94
						27/04/2017	30/11/2017	157
						30/11/2017	19/02/2018	21
						19/02/2018	01/05/2018	11
						01/05/2018	07/09/2018	69
						29/09/2018	28/02/2019	92
28/02/2019	08/07/2019	70						
23	नगर परिषद, इछावर	05/01/2015 से 04/01/2020	30	31	11	13/04/2015	03/08/2015	52
						03/08/2015	13/10/2015	11
						13/10/2015	26/03/2016	105
						29/04/2016	04/07/2016	6
						04/07/2016	06/01/2017	126
						25/01/2017	16/06/2017	82
						19/02/2018	24/04/2018	4

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	निगम/परिषद की अवधि	परिषद की अवधि के दौरान होने वाली द्वि-मासिक बैठकों की संख्या	परिषद की अवधि के दौरान आयोजित द्विमासिक बैठकों की कुल संख्या	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें द्विमासिक बैठकों के संचालन में देरी हुई	दो माह से अधिक की देरी से हुई बैठकों का विवरण		
						पहली बैठक की तिथि	अगली बैठक की तिथि	विलंब (दिनों में)
						24/04/2018	06/07/2018	13
						01/09/2018	28/12/2018	58
						18/02/2019	14/06/2019	56
						14/06/2019	25/10/2019	73
24	नगर परिषद, जावद	12/01/2015 से 05/01/2020	30	17	13	25/02/2015	22/05/2015	26
						22/05/2015	03/09/2015	44
						03/12/2015	08/02/2016	7
						01/08/2016	05/11/2016	36
						05/11/2016	06/01/2017	2
						06/01/2017	20/03/2017	13
						22/04/2017	19/09/2017	90
						19/09/2017	22/12/2017	34
						22/12/2017	20/03/2018	28
						20/03/2018	08/06/2018	20
						08/06/2018	07/09/2018	31
						07/09/2018	31/01/2019	86
01/03/2019	27/12/2019	241						
25	नगर परिषद, खातेगांव	09/01/2015 से 08/01/2020	27	27	11	19/03/2015	06/06/2015	19
						05/11/2015	29/03/2016	85
						13/05/2016	21/09/2016	71
						21/09/2016	03/12/2016	13
						06/01/2017	30/03/2017	23
						19/04/2017	21/06/2017	3
						21/06/2017	13/09/2017	24
						27/12/2017	28/09/2018	215

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	निगम/परिषद की अवधि	परिषद की अवधि के दौरान होने वाली द्वि-मासिक बैठकों की संख्या	परिषद की अवधि के दौरान आयोजित द्विमासिक बैठकों की कुल संख्या	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें द्विमासिक बैठकों के संचालन में देरी हुई	दो माह से अधिक की देरी से हुई बैठकों का विवरण		
						पहली बैठक की तिथि	अगली बैठक की तिथि	विलंब (दिनों में)
						28/09/2018	20/02/2019	85
						06/03/2019	25/06/2019	51
						25/06/2019	06/11/2019	74
26	नगर परिषद, कुरावर	12/01/2015 से 11/01/2020	30	20	5	23/06/2015	16/03/2016	207
						16/03/2016	24/05/2017	374
						21/12/2017	13/03/2018	22
						23/05/2018	30/07/2018	8
						03/10/2018	26/07/2019	236
27	नगर परिषद, लौंडी	09/01/2015 से 01/01/2020	30	41	3	28/07/2015	04/01/2016	100
						27/06/2017	16/10/2017	51
						23/09/2019	16/12/2019	24
28	नगर परिषद, मंडलेश्वर	14/09/2012 से 17/08/2017	30	23	5	16/06/2015	04/09/2015	20
						01/01/2016	26/03/2016	25
						04/08/2016	01/11/2016	29
						01/02/2017	22/04/2017	20
						22/04/2017	11/07/2017	20
		11/09/2017 से निरंतर			5	07/11/2017	05/02/2018	30
						05/02/2018	28/06/2018	83
						28/06/2018	04/01/2019	130
						27/02/2019	18/06/2019	51
						28/02/2020	22/06/2020	55
29	नगर परिषद, मानपुर	16/01/2015 से 12/01/2020	30	13	10	04/07/2015	11/09/2015	9
						11/09/2015	17/03/2016	128
						24/05/2016	16/08/2016	24
						13/12/2016	25/03/2017	42
						31/03/2017	04/09/2017	97

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	निगम/परिषद की अवधि	परिषद की अवधि के दौरान होने वाली द्वि-मासिक बैठकों की संख्या	परिषद की अवधि के दौरान आयोजित द्विमासिक बैठकों की कुल संख्या	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें द्विमासिक बैठकों के संचालन में देरी हुई	दो माह से अधिक की देरी से हुई बैठकों का विवरण		
						पहली बैठक की तिथि	अगली बैठक की तिथि	विलंब (दिनों में)
						04/09/2017	06/11/2017	3
						06/04/2018	07/07/2018	32
						05/09/2018	24/12/2018	50
						14/02/2019	03/06/2019	49
						03/06/2019	09/09/2019	38
30	नगर परिषद, मौ	15/01/2015 से 15/01/2020	30	26	13	28/02/2015	11/05/2015	12
						11/05/2015	14/08/2015	35
						14/08/2015	21/01/2016	100
						21/01/2016	22/03/2016	1
						30/04/2016	13/07/2016	14
						28/11/2016	14/02/2017	18
						04/03/2017	12/05/2017	9
						21/06/2017	06/09/2017	17
						06/09/2017	12/12/2017	37
						12/12/2017	22/02/2018	12
						20/04/2018	22/06/2018	3
						22/06/2018	24/08/2018	3
10/09/2018	25/02/2019	108						
31	नगर परिषद, ओंकारेश्वर	10/01/2013 से 10/01/2018	30	23	8	09/04/2015	15/06/2015	7
						14/07/2015	26/09/2015	14
						26/09/2015	30/12/2015	35
						30/12/2015	31/03/2016	32
						31/05/2016	28/01/2017	182
						28/01/2017	18/04/2017	20



क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	निगम/परिषद की अवधि	परिषद की अवधि के दौरान होने वाली द्वि-मासिक बैठकों की संख्या	परिषद की अवधि के दौरान आयोजित द्विमासिक बैठकों की कुल संख्या	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें द्विमासिक बैठकों के संचालन में देरी हुई	दो माह से अधिक की देरी से हुई बैठकों का विवरण		
						पहली बैठक की तिथि	अगली बैठक की तिथि	विलंब (दिनों में)
		11/01/2018 से निरंतर			4	18/04/2017	18/08/2017	62
						18/08/2017	02/11/2017	16
						02/11/2017	07/03/2018	65
						03/10/2018	16/01/2019	45
						05/03/2019	03/07/2019	60
						03/07/2019	11/05/2020	253
						29/06/2015	13/11/2015	77
11/04/2016	11/08/2016	62						
13/10/2017	16/01/2018	35						
18/09/2018	31/12/2018	44						
27/05/2019	20/08/2019	25						
20/08/2019	24/12/2019	66						
32	नगर परिषद, सतई	27/01/2015 से 26/01/2020	30	21	6	21/01/2015	30/03/2015	8
33	नगर परिषद, सुल्तानपुर	07/01/2015 से 06/01/2020	30	18	12	11/05/2015	01/10/2015	83
						01/10/2015	31/12/2015	31
						28/01/2016	13/06/2016	77
						22/09/2016	28/12/2016	37
						16/02/2017	11/05/2017	24
						14/06/2017	02/10/2017	50
						02/10/2017	18/12/2017	17
						18/12/2017	27/03/2018	39
						27/03/2018	15/06/2018	20

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	निगम/परिषद की अवधि	परिषद की अवधि के दौरान होने वाली द्वि-मासिक बैठकों की संख्या	परिषद की अवधि के दौरान आयोजित द्विमासिक बैठकों की कुल संख्या	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें द्विमासिक बैठकों के संचालन में देरी हुई	दो माह से अधिक की देरी से हुई बैठकों का विवरण		
						पहली बैठक की तिथि	अगली बैठक की तिथि	विलंब (दिनों में)
						05/10/2018	31/12/2018	27
						20/02/2019	05/12/2019	228
<b>कुल</b>			<b>1,011</b>	<b>887</b>				

**परिशिष्ट-5**  
(संदर्भ: कंडिका 3.3.3)  
जिला योजना समिति

क्र. सं.	जिला (शहरी स्थानीय निकाय का नाम)	क्या जिला योजना समिति का गठन किया गया था? (हाँ / नहीं)	यदि हाँ, तो क्या जिला योजना समिति की त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई थी? (हाँ / नहीं)	विवरण			जिले की पंचवर्षीय एवं वार्षिक विकास योजना की स्थिति	क्या पंचायतों और नगरपालिकाओं के समान हितों पर विचार किया गया? (हाँ / नहीं)
				आयोजित की जाने वाली बैठकों की संख्या	आयोजित की गयी बैठकों की वास्तविक संख्या	कमी		
1	अनूपपुर	हाँ	हाँ	20	8	12	दो साल के लिए वार्षिक योजना	नहीं
2	दतिया (बडोनी)	हाँ	हाँ	20	11	9	पाँच साल के लिए वार्षिक योजना	हाँ
3	बड़वानी (संघवा)	हाँ	हाँ	20	12	8	तीन साल के लिए वार्षिक योजना	नहीं
4	बालाघाट	हाँ	हाँ	20	9	11	तीन साल के लिए वार्षिक योजना	नहीं
5	बैतूल (भैंसदेही)	हाँ	हाँ	20	10	10	तीन साल के लिए वार्षिक योजना	नहीं
6	भोपाल	हाँ	हाँ	20	8	12	पाँच साल के लिए वार्षिक योजना	नहीं
7	मंडला (बिछिया)	हाँ	हाँ	20	6	14	उपलब्ध नहीं कराया गया	उपलब्ध नहीं कराया गया

क्र. सं.	जिला (शहरी स्थानीय निकाय का नाम)	क्या जिला योजना समिति का गठन किया गया था? (हाँ / नहीं)	यदि हाँ, तो क्या जिला योजना समिति की त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई थी? (हाँ / नहीं)	विवरण			जिले की पंचवर्षीय एवं वार्षिक विकास योजना की स्थिति	क्या पंचायतों और नगरपालिकाओं के समान हितों पर विचार किया गया? (हाँ / नहीं)
				आयोजित की जाने वाली बैठकों की संख्या	आयोजित की गयी बैठकों की वास्तविक संख्या	कमी		
8	बुरहानपुर	हाँ	हाँ	20	8	12	तीन साल के लिए वार्षिक योजना	नहीं
9	अशोकनगर (चंदेरी)	हाँ	हाँ	20	0	20	पाँच साल के लिए वार्षिक योजना	नहीं
10	छतरपुर (छतरपुर, लौंडी और सतई)	हाँ	हाँ	20	9	11	तीन साल के लिए वार्षिक योजना	नहीं
11	छिंदवाड़ा और डोंगर परासिया	हाँ	हाँ	20	13	7	तीन साल के लिए वार्षिक योजना	नहीं
12	सीधी (चुरहट)	हाँ	हाँ	20	4	16	चार साल के लिए वार्षिक योजना	हाँ
13	ग्वालियर	हाँ	हाँ	20	0	20	पाँच साल के लिए वार्षिक योजना	नहीं
14	सीहोर (इछावर)	हाँ	हाँ	20	9	11	तैयार नहीं	नहीं
15	इंदौर (मानपुर)	हाँ	हाँ	20	8	12	चार साल के लिए वार्षिक योजना	नहीं
16	जबलपुर (जबलपुर और भेड़ाघाट)	हाँ	हाँ	20	10	10	चार साल के लिए वार्षिक योजना	हाँ

क्र. सं.	जिला (शहरी स्थानीय निकाय का नाम)	क्या जिला योजना समिति का गठन किया गया था? (हाँ / नहीं)	यदि हाँ, तो क्या जिला योजना समिति की त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई थी? (हाँ / नहीं)	विवरण			जिले की पंचवर्षीय एवं वार्षिक विकास योजना की स्थिति	क्या पंचायतों और नगरपालिकाओं के समान हितों पर विचार किया गया? (हाँ / नहीं)
				आयोजित की जाने वाली बैठकों की संख्या	आयोजित की गयी बैठकों की वास्तविक संख्या	कमी		
17	खंडवा (ओंकारेश्वर)	हाँ	हाँ	20	8	12	तीन साल के लिए वार्षिक योजना	नहीं
18	खरगोन (मंडलेश्वर)	हाँ	हाँ	20	14	6	तीन साल के लिए वार्षिक योजना	नहीं
19	देवास (खातेगांव और हाटपिपल्या)	हाँ	हाँ	20	7	13	पाँच साल के लिए वार्षिक योजना	नहीं
20	भिंड (मौ)	हाँ	हाँ	20	5	15	पाँच साल के लिए वार्षिक योजना	हाँ
21	नीमच	हाँ	हाँ	20	7	13	चार साल के लिए वार्षिक योजना	नहीं
22	गुना (राघोगढ़)	हाँ	नहीं	20	0	20	तीन साल के लिए वार्षिक योजना।	नहीं
23	रायसेन (मंडीदीप, रायसेन और सुल्तानपुर)	हाँ	हाँ	20	10	10	नहीं	हाँ
24	राजगढ़ (कुरावर, राजगढ़)	हाँ	नहीं	20	0	20	नहीं	नहीं
25	सिवनी	हाँ	हाँ	20	9	11	उपलब्ध नहीं कराया गया	उपलब्ध नहीं कराया गया

**परिशिष्ट-6**  
(संदर्भ: कंडिका 4.1.1.1)  
शिक्षा उपकर का उपयोग

(₹ लाख में)

शहरी स्थानीय निकाय का नाम	पाँच वर्षों में उपलब्ध शिक्षा उपकर	शिक्षा उपकर से पाँच वर्षों में किया गया व्यय	शिक्षा उपकर से कुल अव्ययित राशि
नगर निगम, छिंदवाड़ा	359.13	359.41	- 0.28
नगर निगम, ग्वालियर	3,037.60	847.29	2,190.31
नगर निगम, जबलपुर	5,925.97	5,925.97	0
<b>कुल (नगर निगम)</b>	<b>9,322.70</b>	<b>7,132.67</b>	<b>2,190.03</b>
नगरपालिका परिषद, अनूपपुर	0.14	0.03	0.11
नगरपालिका परिषद, बालाघाट	188.62	0	188.62
नगरपालिका परिषद, चंदेरी	4.26	4.26	0
नगरपालिका परिषद, छतरपुर	7.11	0	7.11
नगरपालिका परिषद, डोंगर परासिया	18.06	0	18.06
नगरपालिका परिषद, मंडीदीप	188.76	25.66	163.10
नगरपालिका परिषद, नेपालनगर	2.73	0	2.73
नगरपालिका परिषद, राघोगढ़	133.59	13.74	119.85
नगरपालिका परिषद, रायसेन	8.83	1.50	7.33
नगरपालिका परिषद, राजगढ़	10.45	0	10.45
नगरपालिका परिषद, सेंधवा	12.63	0	12.63
नगरपालिका परिषद, सिवनी	192.91	6.17	186.74
<b>कुल (नगरपालिका परिषद)</b>	<b>768.09</b>	<b>51.36</b>	<b>716.73</b>

शहरी स्थानीय निकाय का नाम	पाँच वर्षों में उपलब्ध शिक्षा उपकरण	शिक्षा उपकरण से पाँच वर्षों में किया गया व्यय	शिक्षा उपकरण से कुल अव्ययित राशि
नगर परिषद, बडोनी	0	0	0
नगर परिषद, भैंसदेही	9.97	0	9.97
नगर परिषद, भेड़ाघाट	1.08	0	1.08
नगर परिषद, बिछिया	1.77	0	1.77
नगर परिषद, चुरहट	4.33	0	4.33
नगर परिषद, हाटपिपल्या	0	0	0
नगर परिषद, इछावर	3.43	3.50	0.07
नगर परिषद, जावद	1.03	0	1.03
नगर परिषद, खातेगांव	1.03	0	1.03
नगर परिषद, कुरावर	11.59	0	11.59
नगर परिषद, लौंडी	0.11	0	0.11
नगर परिषद, मंडलेश्वर	6.12	0	6.12
नगर परिषद, मानपुर	3.50	0	3.50
नगर परिषद, ओंकारेश्वर	3.19	0	3.19
नगर परिषद सतई	0.06	0	0.06
नगर परिषद, सुल्तानपुर	0.20	0	0.20
<b>कुल (नगर परिषद)</b>	<b>47.41</b>	<b>3.50</b>	<b>43.91</b>
<b>कुल</b>	<b>10,138.20</b>	<b>7,187.53</b>	<b>2,950.67</b>
<b>कुल राशि (करोड़ में)</b>	<b>101.38</b>	<b>71.88</b>	<b>29.51</b>

परिशिष्ट-7  
(संदर्भ: कंडिका 4.1.3)  
संपत्ति कर की कम वसूली

(₹ करोड़ में)

वर्ष	नगर निगम			नगरपालिका परिषद			नगर परिषद		
	कुल मांग	कुल संग्रहित	कुल बकाया	कुल मांग	कुल संग्रहित	कुल बकाया	कुल मांग	कुल संग्रहित	कुल बकाया
2015-16	298.32	169.54	128.78	19.20	9.47	9.72	3.95	1.02	2.93
2016-17	378.34	248.65	129.69	20.36	20.25	9.30	4.61	3.75	0.89
2017-18	407.94	289.05	118.88	23.94	11.44	12.49	4.25	1.23	3.02
2018-19	427.98	284.25	143.73	23.59	10.51	13.08	4.19	1.26	2.93
2019-20	458.86	208.28	250.57	28.13	12.28	15.85	4.31	1.06	3.25
संचयी बकाया								269.66	



**परिशिष्ट-8**  
**(संदर्भ: कंडिका 4.1.3)**  
**जल उपयोगकर्ता शुल्क का संक्षिप्त संग्रह**

(₹ करोड़ में)

जल कर की राशि	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल मांग	164.70	186.17	298.63	294.79	439.36
संग्रह	42.98	54.36	81.16	78.62	63.96
बकाया	121.72	131.81	217.48	216.17	375.40
संग्रह का प्रतिशत	26.10	29.20	27.18	26.67	14.56

**परिशिष्ट-9**  
(संदर्भ: कंडिका 4.1.5)  
मोबाइल टावर पर कर की वसूली

(राशि ₹ में)

शहरी स्थानीय निकाय का नाम	अनधिकृत	अधिकृत	नवीनीकरण हेतु लंबित	संग्रहित कुल राशि	स्थापना की तिथि
नगर निगम, भोपाल	169	706	185	5,02,80,000	फरवरी 2004— जनवरी 2016
नगर निगम, छिंदवाड़ा	4	17	5	12,75,000	जून 2015— जनवरी 2016
नगर निगम, ग्वालियर	58	70	10	1,31,50,000	उपलब्ध नहीं कराया गया
नगर निगम, जबलपुर	0	136	31	1,56,00,000	मई 2015— सितम्बर 2016
नगरपालिका परिषद, अनूपपुर	0	11	11	1,50,000	दिसम्बर 2005— मई 2013
नगरपालिका परिषद, बालाघाट	0	12	5	6,00,000	फरवरी 2015— जनवरी 2016
नगरपालिका परिषद, चंदेरी	0	5	0	2,50,000	आवश्यक नहीं
नगरपालिका परिषद, छतरपुर	0	9	0	4,50,000	आवश्यक नहीं
नगरपालिका परिषद, डोंगर परासिया	0	3	3	1,50,000	दिसम्बर 2015— मार्च 2016
नगरपालिका परिषद, मंडीदीप	0	5	1	7,00,000	दिसम्बर 2015
नगरपालिका परिषद, राजगढ़	0	4	0	1,50,000	आवश्यक नहीं
नगरपालिका परिषद, राघोगढ़	0	11	10	50,000	जून 2006— मई 2009
नगरपालिका परिषद, रायसेन	0	6	5	50,000	अप्रैल 2010— मार्च 2020
नगरपालिका परिषद, सेंधवा	0	18	17	2,20,000	फरवरी 2009— अगस्त 2011

शहरी स्थानीय निकाय का नाम	अनधिकृत	अधिकृत	नवीनीकरण हेतु लंबित	संग्रहित कुल राशि	स्थापना की तिथि
नगरपालिका परिषद, सिवनी	0	16	16	3,60,000	दिसम्बर 2008— मई 2014
नगर परिषद, बडोनी	7	0	0	0	उपलब्ध नहीं कराया गया
नगर परिषद, भैंसदेही	0	4	4	40,000	सितम्बर 2006— अक्टूबर 2009
नगर परिषद, भेड़ाघाट	0	4	2	25,000	अप्रैल 2007
नगर परिषद, बिछिया	0	6	5	उपलब्ध नहीं कराया गया	अप्रैल 2007— मार्च 2010
नगर परिषद, चुरहट	0	9	7	1,65,000	जनवरी 2006— दिसम्बर 2015
नगर परिषद, इछावर	0	2	1	50,000	अप्रैल 2015
नगर परिषद, जावद	0	6	4	75,000	दिसम्बर 2006— दिसम्बर 2015
नगर परिषद, खातेगांव	0	4	2	1,00,000	मार्च 2006
नगर परिषद, कुरावर	0	3	0	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
नगर परिषद, लौंडी	0	5	0	85,000	आवश्यक नहीं
नगर परिषद, मंडलेश्वर	0	8	5	50,000	मार्च 2008— जुलाई 2011
नगर परिषद, मानपुर	0	1	1	50,000	आवश्यक नहीं
नगर परिषद, मौ	3	1	0	25,000	उपलब्ध नहीं कराया गया
नगर परिषद, सतई	0	1	0	25,000	आवश्यक नहीं
नगर परिषद, सुल्तानपुर	0	4	4	0	2005—2010
<b>कुल</b>	<b>241</b>	<b>1,087</b>	<b>334</b>	<b>8,41,25,000</b>	

**परिशिष्ट-10**  
**(संदर्भ: कंडिका 4.2)**  
**बजट अनुमोदन में विलंब**

शहरी स्थानीय निकाय का नाम	विलंबित बजट वर्ष	परिषद द्वारा पारित बजट (31 मार्च से आगे)	विलंब (दिनों में)
नगरपालिका परिषद, मंडीदीप	2015-16	10/6/2015	71
नगरपालिका परिषद, राजगढ़	2016-17	13/6/2016	74
	2018-19	7/5/2018	37
नगर परिषद, इछावर	परिषद में उपलब्ध नहीं है।		
नगर परिषद, कुरावर	परिषद में उपलब्ध नहीं है।		
नगर परिषद, सुल्तानपुर	परिषद में उपलब्ध नहीं है।		
नगरपालिका परिषद, अनूपपुर	2015-16	27/7/2015	118
	2016-17	6/6/2016	67
	2017-18	24/4/2017	24
नगर परिषद, भैंसदेही	2015-16	5/6/2015	66
	2016-17	18/4/2016	18
नगरपालिका परिषद, छतरपुर	2015-16	7/9/2015	160
	2016-17	21/4/2016	21
नगर परिषद, लौंडी	2016-17	19/5/2016	49
	2017-18	5/8/2017	127
	2018-19	15/7/2018	106
	2019-20	6/7/2019	97
नगर परिषद, सतई	2015-16	13/4/2015	13
	2019-20	17/6/2019	78
नगरपालिका परिषद, डोंगर परासिया	2016-17	22/4/2016	22
	2017-18	18/4/2017	18
	2018-19	16/4/2018	16
नगर परिषद, खातेगांव	2019-20	4/4/2019	4
नगर परिषद, हाटपिपल्या	2017-18	उपलब्ध नहीं है।	
	2018-19	5/4/2018	5
	2019-20	उपलब्ध नहीं है।	
नगर परिषद, बडोनी	2015-16	शहरी स्थानीय निकाय द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।	

शहरी स्थानीय निकाय का नाम	विलंबित बजट वर्ष	परिषद द्वारा पारित बजट (31 मार्च से आगे)	विलंब (दिनों में)
	2016-17	20 / 5 / 2016	50
	2017-18	9 / 7 / 2017	100
	2018-19	शहरी स्थानीय निकाय द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।	
	2019-20	शहरी स्थानीय निकाय द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई	
नगर परिषद, मौ	2017-18	17 / 4 / 2017	17
नगर परिषद, जावद	2018-19	13 / 4 / 2018	13
नगर परिषद, मंडलेश्वर	2015-16	8 / 4 / 2015	8
	2017-18	2 / 5 / 2017	32
नगर परिषद, मानपुर	2016-17	20 / 5 / 2016	50
	2017-18	22 / 1 / 2018	297
	2019-20	6 / 8 / 2019	128
नगरपालिका परिषद, नेपालनगर	2016-17	13 / 4 / 2016	13
	2019-20	2 / 8 / 2019	124
नगर परिषद, ओंकारेश्वर	2015-16	14 / 7 / 2015	105
	2016-17	4 / 4 / 2016	4
	2017-18	22 / 9 / 2017	175
नगर परिषद, भेड़ाघाट	2016-17	5 / 5 / 2016	35
	2017-18	20 / 6 / 2017	81
	2018-19	15 / 2 / 2019	321
	2019-20	18 / 1 / 2020	293
नगर परिषद, चुरहट	2015-16	25 / 6 / 2015	86
	2016-17	4 / 5 / 2016	34
	2017-18	8 / 3 / 2019	707
	2018-19	25 / 6 / 2019	451
	2019-20	25 / 6 / 2019	86
नगरपालिका परिषद, सिवनी	2015-16	2 / 6 / 2015	63
	2016-17	8 / 6 / 2016	69
	2019-20	31 / 5 / 2019	61

परिशिष्ट-11  
(संदर्भ: कंडिका 4.3)  
सेवा स्तर बेंचमार्क

क्र. सं.	चयनित शहरी स्थानीय निकायों का नाम	जल आपूर्ति								सीवेज प्रबंधन						ठोस अपशिष्ट प्रबंधन					
		जल आपूर्ति कनेक्शन का कवरेज (प्रतिशत)		प्रति व्यक्ति पानी की आपूर्ति (लीटर में)		मीटरिंग की सीमा (प्रतिशत)		आपूर्ति की गई पानी की निरंतरता (घंटे)		शौचालयों का कवरेज (प्रतिशत)		सीवेज नेटवर्क का कवरेज (प्रतिशत)		सीवेज उपचार क्षमता की पर्याप्तता (प्रतिशत)		घरेलू स्तर का कवरेज (प्रतिशत)		ठोस अपशिष्ट के संग्रह में दक्षता (प्रतिशत)		ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के पृथक्करण की सीमा (प्रतिशत)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	नगर निगम, भोपाल	100	95	135	135	100	78	24	4	100	100	100	45	100	90	100	100	100	100	100	100
2	नगर निगम, छिंदवाड़ा	100	91	135	135	100	65	24	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	85	100	100
3	नगर निगम, ग्वालियर	100	61	135	125	20	4	4-6	1-2	93	75	80	70	90	80	100	90	100	95	30	97
4	नगर निगम, जबलपुर	100	81	135	135	100	5	24	4	100	100	50	32	70	33	100	100	100	100	100	75
5	नगरपालिका परिषद, अनूपपुर	85	35	90	70	100	0	2	1	60	60	47	0	0	0	100	90	92	70	62	0
6	नगरपालिका परिषद, बालाघाट	80	57	100	100	10	10	3	1	100	100	0	0	0	0	100	100	100	100	75	75
7	नगरपालिका परिषद, चंदेरी	100	76	135	135	90	0	24	2	100	93	0	0	0	0	100	100	100	100	100	30
8	नगरपालिका परिषद, छतरपुर	90	80	70	70	0	0	4	2	100	100	0	0	0	0	100	100	100	90	100	80

क्र. सं.	चयनित शहरी स्थानीय निकायों का नाम	जल आपूर्ति								सीवेज प्रबंधन						ठोस अपशिष्ट प्रबंधन					
		जल आपूर्ति कनेक्शन का कवरेज (प्रतिशत)		प्रति व्यक्ति पानी की आपूर्ति (लीटर में)		मीटरिंग की सीमा (प्रतिशत)		आपूर्ति की गई पानी की निरंतरता (घंटे)		शौचालयों का कवरेज (प्रतिशत)		सीवेज नेटवर्क का कवरेज (प्रतिशत)		सीवेज उपचार क्षमता की पर्याप्तता (प्रतिशत)		घरेलू स्तर का कवरेज (प्रतिशत)		ठोस अपशिष्ट के संग्रह में दक्षता (प्रतिशत)		ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के पृथक्करण की सीमा (प्रतिशत)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
9	नगरपालिका परिषद, डोंगर परासिया	100	80	70	65	0	0	1	1	100	90	0	0	0	0	100	60	100	80	0	0
10	नगरपालिका परिषद, मंडीदीप	65	65	60	60	50	0	1	1	100	91	0	0	0	0	100	85	100	90	100	60
11	नगरपालिका परिषद, नेपालनगर	90	60	135	80	0	0	1	1	100	70	0	0	0	0	85	95	100	90	10	5
12	नगरपालिका परिषद, राघोगढ़	100	93	120	100	100	0	24	1	100	100	0	0	0	0	100	100	100	80	100	50
13	नगरपालिका परिषद, रायसेन	100	79	135	135	100	0	10	8	100	95	100	17	100	20	100	100	100	80	100	50
14	नगरपालिका परिषद, राजगढ़	95	95	98	98	0	0	45 मिनट	45 मिनट	100	100	0	0	0	0	98	98	98	98	90	90
15	नगरपालिका परिषद, संधवा	95	90	135	135	95	0	1	1	100	100	0	0	0	0	75	70	85	80	0	0
16	नगरपालिका परिषद, सिवनी	100	87	80	70	0	0	1	1	100	95	0	0	0	0	100	100	100	100	100	60

क्र. सं.	चयनित शहरी स्थानीय निकायों का नाम	जल आपूर्ति								सीवेज प्रबंधन						ठोस अपशिष्ट प्रबंधन					
		जल आपूर्ति कनेक्शन का कवरेज (प्रतिशत)		प्रति व्यक्ति पानी की आपूर्ति (लीटर में)		मीटरिंग की सीमा (प्रतिशत)		आपूर्ति की गई पानी की निरंतरता (घंटे)		शौचालयों का कवरेज (प्रतिशत)		सीवेज नेटवर्क का कवरेज (प्रतिशत)		सीवेज उपचार क्षमता की पर्याप्तता (प्रतिशत)		घरेलू स्तर का कवरेज (प्रतिशत)		ठोस अपशिष्ट के संग्रह में दक्षता (प्रतिशत)		ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के पृथक्करण की सीमा (प्रतिशत)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
17	नगर परिषद, बडोनी	100	90	135	100	100	0	24	1	100	100	0	0	0	0	100	80	100	80	100	50
18	नगर परिषद, भैंसदेही	100	90	85	80	25	0	1	1	100	80	0	0	0	0	100	70	100	65	100	50
19	नगर परिषद, भेड़ाघाट	70	70	70	70	0	0	4	4	100	80	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0
20	नगर परिषद, बिछिया	100	90	90	80	0	0	1	1	100	70	0	0	0	0	100	95	100	90	100	70
21	नगर परिषद, चुरहट	90	60	70	55	100	0	1	1	100	100	50	0	100	0	90	50	100	50	100	0
22	नगर परिषद, हाटपिपल्या	100	80	135	70	0	0	3	16 मिनट	100	90	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0
23	नगर परिषद, इछावर	100	80	80	75	0	0	1	1	100	80	0	0	0	0	100	80	100	90	100	80
24	नगर परिषद, जावद	100	100	135	95	0	0	1	54 मिनट	100	100	0	0	0	0	100	100	100	100	0	60
25	नगर परिषद, खातेगांव	92	86	135	110	0	0	1	54 मिनट	100	90	0	0	0	0	100	92	100	85	50	10
26	नगर परिषद, कुरावर	75	60	70	60	25	0	1	1	75	75	0	0	0	0	100	75	100	80	100	70



क्र. सं.	चयनित शहरी स्थानीय निकायों का नाम	जल आपूर्ति								सीवेज प्रबंधन						ठोस अपशिष्ट प्रबंधन					
		जल आपूर्ति कनेक्शन का कवरेज (प्रतिशत)		प्रति व्यक्ति पानी की आपूर्ति (लीटर में)		मीटरिंग की सीमा (प्रतिशत)		आपूर्ति की गई पानी की निरंतरता (घंटे)		शौचालयों का कवरेज (प्रतिशत)		सीवेज नेटवर्क का कवरेज (प्रतिशत)		सीवेज उपचार क्षमता की पर्याप्तता (प्रतिशत)		घरेलू स्तर का कवरेज (प्रतिशत)		ठोस अपशिष्ट के संग्रह में दक्षता (प्रतिशत)		ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के पृथक्करण की सीमा (प्रतिशत)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
27	नगर परिषद, लौंडी	80	50	75	75	0	0	1	1	100	95	0	0	0	0	100	100	100	100	100	90
28	नगर परिषद, मानपुर	100	90	95	70	0	0	1	1	100	100	0	0	0	0	100	100	100	95	0	10
29	नगर परिषद, मंडलेश्वर	100	95	130	70	100	0	40 मिनट	45 मिनट	100	100	100	0	100	0	100	90	100	75	100	25
30	नगर परिषद, मौ	100	90	70	60	100	0	24	2	100	100	0	0	0	0	100	70	100	60	100	10
31	नगर परिषद, ओंकारेश्वर	90	70	135	70	75	0	1	1	90	100	50	35	50	30	100	100	100	100	100	60
32	नगर परिषद, सतई	100	42	70	50	0	0	24	1	100	90	100	70	100	20	100	95	100	95	100	80
33	नगर परिषद, सुल्तानपुर	100	90	135	135	0	0	4	4	100	100	0	0	0	0	100	100	100	85	0	50
	<b>अधिकतम</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>100</b>	<b>78</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>न्यूनतम</b>	<b>65</b>	<b>35</b>	<b>60</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 मिनट</b>	<b>16 मिनट</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





©  
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

<https://cag.gov.in/ag2/madhya-pradesh/en>